असाधारण
EXTRAORDINARY
Daman 9th October, 2015, 17 Asvina 1937 (Saka) सं. No. : 61

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
पंचायती राज संस्थान विभाग
पंचायत सचिव का कार्यालय, दमण एवं दीव
मोटी दमण.

अधिसूचना

जबकि, दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 के अनुच्छेद 121 की उप-धारा (1) के तहत अपेक्षानुसार इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले जन सामान्य से आपत्तियाँ / सुझावों को आमंत्रित करते हुए, "दमण एवं दीव (पंचायत) (चुनाव प्रक्रिया) नियम, 2013" का प्रारूप जन सामान्य को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ उपलबध कराने के से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व संघ प्रदेश दमण एवं दीव के पंचायती राज संस्थान विभाग, सचिव पंचायत, दमण एवं दीव कार्यालय की अधिसूचना सं. 4/21/विशे.-सचि. (पंचायती राज संस्थान)/2012-13/7123, दिनांक 23/03/2013 के तहत प्रकाशित किया गया था ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जन सामान्य को 23 मार्च, 2013 को उपलब्ध कराई गई थी ।

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत विचार किया गया है ।

अब इसलिए दमण एवं दीव पंचायत विनियम, **2012** के अनुच्छेद **121** की उप-धारा **(1)** एवं उप-धारा **(2)** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

अध्याय - I

1. लघु शीर्षक, विस्तार एवं प्रभावी होने की तिथि: **(1)** यह नियम दमण एवं दीव **(**पंचायत**)** **(**चुनाव प्रक्रिया**)** नियम, **2014** के नाम से जाना जायेगा।

(2) ये नियम दमण एवं दीव में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

2. परिभाषा.- इन नियमों में, जबतक की विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) "शासन" का अभिप्रेत संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन से है;

(2) "प्रशासक" का अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक से है;

(3) "भवन" जिसमें एक घर, एक उप-भवन, गोशाला, शौचघर, मूत्रालय, शाला, झोपड़ी, दीवार (आहाते की दीवार को छोड़कर जिसकी ऊँचाई आठ फीट से अधिक न हो) और कोई अन्य ढ़ाँचा चाहे वो चिनाई, ईंट, लकड़ी, धातु या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो परंतु किसी उत्सव या त्यौहार के अवसर पर बनाये जाने वाले मंडप या तंबू जैसे अस्थायी ढ़ाँचे शामिल न हो;

(4) "मतपेटी" जिसमें कोई बॉक्स, थैली या अन्य पात्र से है जिसका उपयोग मतदाताओं के द्वारा किये गये मतदान पत्र को रखने के लिए होता है;

(5) "उम्मीदवार" का अभिप्रेत ग्राम पंचायत या जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार से है;

(6) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्रेत प्रशासक द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत से है।

(7) "समाहर्ता" का अभिप्रेत दमण समाहर्ता या दीव समाहर्ता, जैसा मामला हो, से है;

(8) "प्रतिपर्ण" का अभिप्रेत इन नियमों के प्रावधानों के तहत मुद्रित प्रतिपर्ण से है जो मतपत्र से जुड़ा होता है;

(9) "पंचायत निदेशक" से अभिप्रेत पंचायत के प्रभारी अधिकारी से है जो पंचायती राज विभाग में विभाग के सचिव के सीधे नियंत्रण एवं अधीक्षण में कार्य करता है;

(10) "जिला" से अभिप्रेत एक जिले से है जिसे प्रशासक के द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के तहत इस विनियम के उद्देश्य से जिला विनिर्दिष्ट किया गया है;

(11) "जिला न्यायाधीश" का अभिप्रेत दमण एवं दीव के जिला न्यायाधीश से है;

(12) "जिला मैजिस्ट्रेट" का अभिप्रेत दमण या दीव, जिससे संबंधित हो, के जिला मैजिस्ट्रेट से है;

(13) "जिला पंचायत" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 54 के तहत गठित जिला पंचायत से है;

(14) "जिला पंचायत निधि" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 80 के तहत गठित निधि से है;

(15) "चुनाव आयुक्त" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 99 की उप-धारा (1) में संदर्भित चुनाव आयुक्त से है;

(16) "निर्वाचक " का अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसका नाम किसी वार्ड के निर्वाचक नामावली में फिलहाल प्रविष्ट किया गया है और जो मतदान के लिए अनर्हता के अध्यधीन नहीं है ।

(17) "वित्त आयोग" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 100 में संदर्भित वित्त आयोग से है;

(18) "प्रपत्र" का अभिप्रेत इन नियमों से जुड़े प्रपत्र से है और जिसमें उसका अनुवाद या किसी भाषा से है जिसमें निर्वाचक नामावली तैयारी की गई है, शामिल है;

(19) "ग्राम" से अभिप्रेत गाँव से है;

(20) "ग्राम निधि" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 35 में संदर्भित ग्राम निधि से है;

(21) "ग्राम पंचायत" का अभिप्रेत विनियम के तहत संदर्भित एक ग्राम पंचायत से है;

(22) "ग्राम सभा" का अभिप्रेत विनियम के अनुच्छेद 3 की उप-धारा (2) के तहत संदर्भित ग्राम सभा से है;

(23) "निर्वाचक नामावली" की चिन्हित प्रति का अभिप्रेत उन निर्वाचकों के नाम को चिन्हित करने के उद्देश्य से पृथक की गई प्रति से है, जिन्हें निर्वाचन के समय मतदान पत्र जारी किये जाते हैं;

(24) "सदस्य" जिसमें ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य आते हैं;

(25) "आदेश" का अभिप्रेत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश से है;

(26) "सरकारी राजपत्र" का अभिप्रेत दमण एवं दीव के राजपत्र से है;

(27) "अधिसूचना" का अभिप्रेत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित " अभिव्यक्ति को तदनानुसार समझा जाएगा;

(28) "पंचायत क्षेत्र" का अभिप्रेत विनियम के धारा-3 की उप-धारा (1) के तहत प्रशासक द्वारा घोषित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(29) "पंचायत सचिव" का अभिप्रेत विनियम के धारा-25 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पंचायत सचिव से है;

(30) "व्यक्ति" के अंतर्गत सदस्यों का निकाय शामिल नहीं है;

(31) "विहित" का अभिप्रेत इस विनियम के तहत नियम के द्वारा विहित से है;

(32) "पीठासीन अधिकारी" का अभिप्रेत इन नियमों के तहत नियुक्त ऐसे किसी व्यक्ति से है और इसके अंतर्गत इन नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी के कार्यों को निष्पादित करने वाले कोई मतदान अधिकारी शामिल हैं ;

(33) "अध्यक्ष" एवं "उपाध्यक्ष" का अभिप्रेत क्रमश: जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से है ।

(34) "सार्वजनिक अवकाश" का अभिप्रेत परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अनुच्छेद 25 के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित दिन से है;

(35) "सार्वजनिक मार्ग" का अभिप्रेत एक पथमार्ग, सड़क, गली, चौराहा, आँगन, पगडण्डी, बैलगाड़ी मार्ग, फुटपात या दौड़ लगाने वाले मार्ग से है जिसपर लोगों को चलने का अधिकार हो, चाहे उसका किराया देना पड़े या नहीं और जिसमें शामिल हैं-

(i) किसी भी सार्वजनिक ब्रिज या कॉज-वे के ऊपर से गुजरने वाला सड़क-मार्ग

(ii) ऐसे किसी भी मार्ग, सार्वजनिक ब्रिज या कॉज-वे से जुड़ा हुआ पद-मार्ग;

(iii) ऐसे किसी भी मार्ग, सड़क, सार्वजनिक ब्रिज या कॉज-वे से जुड़ा हुआ नाला;

(iv) सड़क-मार्ग के दोनों ओर के भूभाग-

(क) सन्निकट संपत्ति के आहाते तक, या

(ख) इस संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिसूचित मार्ग तक;

(36) "विनियम" का अभिप्रेत दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 से है;

(37) "निर्वाचन अधिकारी" का अभिप्रेत इन नियमों के तहत निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का निर्वाहन करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;

(38) "नामावली" का अभिप्रेत वार्ड के लिए बनाये गये निर्वाचक नामावली से है;

(39) "सरपंच" का अभिप्रेत ग्राम पंचायत सरपंच से है;

(40) "अनुसूची" का अभिप्रेत विनियम, 2012 के अनुसूची से है;

(41) "सचिव पंचायत" का अभिप्रेत संघ प्रदेश दमण एवं दीव में पंचायती राज विभाग में प्रभारी सचिव से है;

(42) "धारा" का अभिप्रेत विनियम, 2012 की धारा से है;

(43) "कर" का अभिप्रेत विनियम के तहत आने वाले कर, उपकर, दर या अन्य उद्ग्राह्य चुंगी से है परंतु इसमें शुल्क शामिल नहीं है;

(44) "संघ प्रदेश" का अभिप्रेत संघ प्रदेश दमण एवं दीव से है;

(45) "उप-सरपंच" का अभिप्रेत ग्राम पंचायत के उप-सरपंच से है;

(46) "ग्राम" का अभिप्रेत प्रशासक द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट गाँव से है, उस गाँव से जिसका उद्देश्य इस विनियम के लिए हो और इसमें गाँवों का समूह भी शामिल है;

(47) "मतदाता" का अभिप्रेत किसी वार्ड के संबंध में उस व्यक्ति से है जिसका नाम वार्ड के निर्वाचक नामावली में फिलहाल दर्ज है ;

(48) "वार्ड" का अभिप्रेत एक जिले के वार्ड से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के निकाय से है।

(ख) इस आदेश में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो उक्त विनियम में उन्हें क्रमश: दिया गया है ।

अध्याय - II

<u>ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत वार्डों का परिसीमन</u>

3. <u>पंचायत क्षेत्र की घोषणा एवं ग्राम सभा का गठन:</u> **(1)** उक्त विनियम की धारा-12 एवं 55 के प्रावधानों के तहत, निर्वाचन आयोग एकल सदस्य प्रादेशिक वार्ड के प्रत्येक ग्राम पंचायत, और जिला पंचायत को सीटें वितरित एवं निर्धारित करेगा और नवीनतम जनगणना संख्या के आधार पर, निम्नलिखित प्रावधानों के तहत उसे परिसीमित भी करेगा, अर्थात् :-

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(क) सभी वार्ड, जहाँ तक व्यावहारिक हो, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उन्हें परिसीमित करने में, वास्तविक विशेषताओं, प्रशासकीय ईकाइयों की सीमाक्षेत्र, लोगों की सुविधा और संचार की सुविधा को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ख) वैसे वार्ड जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, उन जातियों से संबंधित महिलाओं और महिलाओं, जहाँ तक व्यावहारिक हो, को ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत में बाँटा जाएगा और आयोग इसे ड्रॉ के द्वारा चक्रानुक्रमित कर सकता है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि, दूसरी बार संबंधित एक वार्ड के सीट को आरक्षित बनाने के लिए, जैसा मामला हो, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के सभी वार्डों में सीट आरक्षित रहे,

(2) आयोग :-

(क) वार्ड के परिसीमन के प्रस्ताव को, इस संदर्भ में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए सरकारी राजपत्र में, जैसा उचित समझे, जारी करेंगे;

(ख) तिथि विनिर्दिष्ट करेंगे कि जब तक उक्त प्रस्तावों में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जा सकें ;

(ग) खंड (ख) के तहत विनिर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेंगे, और ऐसे विचार हेतु, ऐसे स्थल या स्थलों पर, जैसा उचित समझें, एक से ज्यादा बैठकें आयोजित करेंगे;

(घ) तदुपरांत, एक या अधिक आदेश के द्वारा, निर्धारित करेंगे :-

(i) ग्राम पंचायत वार्ड का परिसीमन : और

(ii) जिला पंचायत वार्ड का परिसीमन,

4. <u>आदेश का प्रकाशन एवं उनके प्रचालन की तिथि :-</u>

(1) आयोग नियम-3 के तहत बनाये गये प्रत्येक आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत, ऐसे प्रत्येक आदेश कानूनन प्रभावी होंगे और किसी भी अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

(3) इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत, जो भी हो, उसके प्रतिनिधित्व को प्रभावित करे, केवल इसके विघटन को छोड़कर, ग्राम पंचायत एवं

जिला पंचायत के परिसीमन से संबंधित आयोग के अंतिम आदेश या आदेशों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि से, जैसा मामला हो, और उप-चुनाव के द्वारा किसी पंचायत में रिक्तियां को भरने के लिए जिसके लिए कोई आदेश नहीं बनाया गया हो।

5. परिसीमन आदेश के अद्यतनीकरण के लिए आयोग की शक्तियाँ :

आयोग, समय-समय पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके -

(क) आदेश में किसी भी मुद्रण त्रुटि या अनजाने में हुई चूक या विलोपन के कारण हुई गलती को सही कर सकते हैं;

(ख) जहाँ सीमाओं या किसी प्रादेशिक अनुभाग के नाम को आदेश में दर्शाया गया है या हटाया गया है, आदेश को अद्यतन करने के लिए या आवश्यक होने पर ऐसे संशोधन कर सकते हैं।

6. सार्वजनिक निरीक्षण : नियम 4 के तहत प्रकाशित कोई भी आदेश प्रकाशन तिथि से दस दिनों के लिए आयोग के कार्यालय में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु नि:शुल्क रूप में उपलब्ध रहेगा;

7. प्रतियाँ और उद्धरण : किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे आदेश की किसी प्रविष्टि या उद्धरण की अभिप्रमाणित प्रति या प्रतियाँ आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राप्त कर सकता है।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अध्याय - III

अधिकारीगण

8. पंचायत निर्वाचन निदेशक : (1) आयोग के अनुसार, प्रशासक के परामर्श से प्रशासन का एक अधिकारी पंचायत निर्वाचन निदेशक होगा, जिसे इसके लिए पदनामित या नामित किया गया हो।

(2) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में, पंचायत निर्वाचन निदेशक सभी निर्वाचक नामावलियों को अपने निरीक्षण में तैयार करेंगे तथा इन विनियमों और नियमों के तहत सभी पंचायतों में चुनाव सम्पन्न करवायेंगे।

9. निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी : (1) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड और जिला पंचायत वार्ड के लिए जो कि आयोग के अनुसार, प्रशासक के परामर्श से निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे प्रशासन या स्थानीय प्राधिकार का एक अधिकारी होगा, जिसे इसके लिए पदनामित या नामित किया गया हो।

(2) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, पंचायत निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगाये गये ऐसे प्रतिबंधों के अनुरूप, उप-नियम (1) के तहत निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए योग्य पाये गये व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।

10. सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी : (1) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को कार्य के निर्वाहन हेतु आयोग एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के अधीन, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के सभी या किसी कार्य के निर्वाहन के लिए सक्षम होंगे।

अध्याय - IV

वार्ड हेतु निर्वाचक नामावली

11.वार्डों के लिए निर्वाचक नामावली :-

वार्डों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार की जायेगी, जिसमें व्यक्ति संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 के प्रावधानों के अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत है ।

क) आयोग के किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन दमण एवं दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 (वर्ष 1950 का 43) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार तैयार की जायेगी ,जो कि फिलहाल प्रवृत्त है ; उक्त विनियम की धारा-4 के प्रयोजन हेतु,

i) जिला पंचायत के वार्डों हेतु निर्वाचक नामावली होगी और

ii) ग्राम पंचायत के वार्ड के संबंध में उस वार्ड हेतु निर्वाचक नामावली होगी ।

ख) निर्वाचक नामावली को ऐसे सुविधाजनक हिस्सों में बॉटा जाएगा, जैसा कि आयोग निदेश दें ।

12.प्रारूप में नामावली का प्रकाशन : (1) नियम 11 के तहत जैसे ही निर्वाचक नामावली तैयार होती है, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए इसके प्रारूप को सूचना प्रपत्र-I के साथ प्रकाशित करे साथ ही इसकी एक प्रति अपने कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए रखे अगर कार्यालय वार्ड क्षेत्र में ही स्थित हो तो और ऐसे स्थल या स्थलों पर रखे जो वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र में हो, उसपर वह इसका उद्देश्य भी विनिर्दिष्ट करें, अगर उसका कार्यालय वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर हो ।

(2) उप-नियम (1) के तहत प्रारूप नामावली को प्रकाशित किया जाये और इसे सार्वजनिक निरीक्षण हेतु और सुझाव एवं आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रकाशन तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रखा जाये:

बशर्ते कि प्रशासक, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के लिए अवधि को विस्तारित करे।

(3) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सभी राजनीतिक दलों को इसकी दो प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जिसके लिए आयोग द्वारा एक प्रतीक अनन्य रूप से आरक्षित रखा जाये।

13.<u>सुझाव एवं आपत्तियाँ</u> : (1) सुझाव एवं आपत्तियाँ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इसकी ओर से पदनामित किया गया है उसे दें या प्रपत्र-2 में डाक द्वारा भेजें।

(2) इसे संबंधित व्यक्ति या प्राधिकृत एजेंट के द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।

(3) सुझाव या आपत्ति के दर्ज होने के उपरांत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी व्यक्ति को दर्ज होने की पावती तत्काल देंगे ।

14.<u>सुझावों एवं आपत्तियों का निपटान</u> : (1) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, नियम 12 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होते ही सुझावों एवं आपत्तियों पर,अगर कोई हो तो, जो उन्हें प्राप्त हुऐ हैं, उनपर शीघ्रताशीघ्र विचार करेंगे, और सुझावों एवं आपत्तियों की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों पर एक संक्षिप्त व्यक्तव्य को लिखित रूप में तैयार करने के उपरांत इस संबंध में एक अनिवार्य आदेश पारित करेंगे। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी भी तरह के लिपिकीय या मुद्रण त्रुटि या किसी अन्य गलतियों में सुधार भी कर सकते हैं जो नामावली में पाये गये हों ।

15.<u>नामावली का अंतिम प्रकाशन</u> : (1) नियम-14 के तहत संशोधित नामावली को नियम 12 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रपत्र-3 में पुन:-प्रकाशन किया जाये। इस प्रकार प्रकाशित नामावली ही अंतिम होगा।

(2) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नामावली की पूर्ण प्रति को निरीक्षण हेतु अपने कार्यालय में उपलब्ध रखे और सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रपत्र-3 में दर्शाये।

(3) आयोग के द्वारा ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दिये जाने पर, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक राजनीतिक दलों को, जिसे अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है, की दो प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जिसके लिए आयोग द्वारा एक प्रतीक अनन्य रूप से आरक्षित रखा जाये।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

16.<u>निर्वाचकों के लिए पहचान पत्र :</u> (1) निर्वाचन आयोग, निर्वाचकों के प्रतिरूप का निवारण एवं चुनाव के दौरान उनकी पहचान निर्धारित करने के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, प्रादेशिक क्षेत्र के किसी पंचायत या उसके किसी वार्ड या हिस्से को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर इस नियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निदेश दे सकती है।

(2) निर्वाचक अभ्यावेदन नियम, 1960 के नियम 28 के तहत जारी किया जाने वाला पहचान पत्र इस नियम के उद्देश्य के लिए जारी पहचान पत्र माना जायेगा ।

17.<u>नामावली एवं संबंधित दस्तावेजों की परिरक्षा एवं सुरक्षा :</u> (1) पंचायत के लिए नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात, निम्नलिखित दस्तावेजों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय या पंचायत चुनाव निदेशक के द्वारा, विनिर्दिष्ट आदेश के तहत, ऐसे स्थल पर नामावली के अगले पुनरीक्षण के एक वर्ष की अवधि के बाद तक रखा जाये:-

(क) नामावली की पूर्ण प्रति ; और

(ख) दावा और आपत्तियों से संबंधित दस्तावेज ।

(2) नामावली की पूर्ण प्रति जिसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है, को पंचायत चुनाव निदेशक के द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर स्थायी रिकार्ड के तौर पर रखा जाये ।

18.<u>निर्वाचक नामावली एवं संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण :</u>

प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह नियम 17 के तहत संदर्भित चुनाव दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके और उसकी अभिप्रमाणित प्रतियाँ पंचायत चुनाव निदेशक के द्वारा निर्धारित शुल्क अदायगी पर प्राप्त कर सके।

19.<u>निर्वाचक नामावली एवं संबंधित पत्रों का निपटान :</u> (1) नियम 17 में संदर्भित दस्तावेजों को, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद सामान्य एवं विशेष निदेश के तहत, अगर कोई हो तो, जिसे आयोग ने इस उद्देश्य से जारी किया है, को पंचायत चुनाव निदेशक के निदेश पर निवर्तन कर दिया जाये ।

(2) नियम 17 के तहत अनिवार्य संख्या तथा किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के अतिरिक्त किसी पंचायत के निर्वाचक नामावली की प्रतियों को आयोग के निदेश पर समयानुसार निवर्तन किया जाये और जब तक निवर्तन नहीं होता उसकी सार्वजनिक बिक्री की जाये : बशर्ते कि नियम 18 के तहत निर्धारित शुल्क को इस नियम के तहत पंचायत से संबंधित निधि में जमा की जायेगी ।

अध्याय - V

पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सरपंच का निर्वाचन

20. निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण : (1) इन नियमों के तहत पंचायतों का चुनाव संपादन आयोग के सामान्य अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों की सामान्यता से पूर्वाग्रहित हुए बगैर, आयोग, अगर समीचीन हो तो, आदेश के द्वारा, ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और प्रकार्य का निदेश चुनाव आयोजन के कार्य से संलग्न किसी प्राधिकारी को दे सकता है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, जो नियुक्त किये गये हों या जिन्हें कार्यमुक्त किया गया हो, जो ऐसे प्रतिबंधों एवं शर्तों पर हो, आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अध्याय - VI

पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सरपंच की सदस्यता के लिए पात्रता

21. सदस्यता हेतु अयोग्यता :

एक व्यक्ति चयन के लिए, और ग्राम पंचायत के सदस्य या सरपंच/ जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, या उसे जारी रखने के लिए योग्य नहीं हो सकता, अगर वह -

(क) ग्राम पंचायत के किसी बकाये या किसी कर, शुल्क या कोई अन्य बकाया को एक वर्ष की अवधि से ज्यादा होने पर भी भुगतान करने में असफल होने पर :

बशर्ते कि ऐसी अयोग्यताएँ मात्र तभी प्रवर्ती होंगी अगर ऐसे बकायों के लिए चुनाव की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व ऐसे व्यक्तियों को बताया गया हो और इसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर दर्शाया गया हो; या

(ख) किसी कार्यालय में वेतनभोगी या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के अंतर्गत लाभ का पद धारण किये हुये हों; या

(ग) जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या परिवार के सदस्य के द्वारा सीधे तौर पर कोई अंशधारक हो या ग्राम पंचायत के द्वारा किये जाने वाले कार्य को मौद्रिक लाभ के कार्य से या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में उसके तहत या उसके द्वारा या उसकी ओर से किया जा रहा है; या

(घ) वह सरकारी सेवक हो या या किसी नगरपालिका या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में कार्य कर रहा हो; या

(ङ) जिसे सरकारी सेवा या नगरपालिका या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत से चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के दौरान अनियमितताओं के कारण निकाला गया हो; या

(च) जो इक्कीस वर्ष की आयु का न हुआ हो; या

(छ) जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-109 या धारा-110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा का आदेश दिया गया हो; या

(ज) किसी अपराध के लिए किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा किसी हिंसा या नैतिक चरित्रहीनता के लिए दोष सिद्ध हुआ हो और उसे तीन माह से कम की सजा नहीं दी गई हो और उसकी रिहाई से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो।

(झ) ग्राम पंचायत या जिला पंचायत की अनुमति के बिना, क्रमश: तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो; या

(ञ) वह विक्षिप्त मानसिकता का हो और सक्षम अदालत द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो; या

(ट) एक सक्षम अदालत द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ठ) सक्षम अदालत द्वारा उस समय प्रभावी विधि के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण या किसी चुनाव के दौरान चुनाव संबंधी अपराध करने के कारण उसे अयोग्य घोषित किया गया हो; या

(ड) खंड (च) के अधीन, उस समय प्रभावी किसी विधि के तहत पंचायत सभा के चुनाव के उद्देश्य से अयोग्य घोषित किया गया हो; या

(ढ) वह भारत का नागरिक नहीं हो ।

(2) अगर विनियम के अनुसूची पाँच के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया हो तो वह ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के रूप में भी अयोग्य होगा।

अध्याय - VII

आम चुनाव की अधिसूचना

22.आम चुनाव : एक नये पंचायत के गठन के लिए और इसकी अवधि की समाप्ति पर या भंग होने की स्थिति के उद्देश्य के लिए इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार आम चुनाव किया जा सकता है।

23. आम चुनाव के लिए अधिसूचना : पंचायत सचिव, सरकारी राजपत्र में एक या अधिक अधिसूचना प्रकाशित कर निर्वाचन आयोग के द्वारा संस्तुत तिथि या तिथियों के अनुसार, विनियम के प्रावधानों और नियमों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये आदेशों के तहत सभी संबंधित वार्डों को सदस्यों के चयन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

बशर्ते कि जारी पंचायत के भंग होने के अलावे आम चुनाव किया जा सकता है, परंतु कोई भी ऐसी अधिसूचना को विनियम के धारा-19 या धारा-64 के प्रावधानों के तहत पंचायत की अवधि के समाप्त होने की छह माह की अवधि से पूर्व किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता है।

अध्याय - VIII

चुनाव के आयोजन हेतु प्रशासनिक तंत्र

24.निर्वाचन अधिकारी : (1) प्रत्येक वार्ड के लिए आयोग प्रशासक के परामर्श पर, एक निर्वाचन अधिकारी को पदनामित या नामित करेगा जो प्रशासन का या स्थानीय प्राधिकार का एक अधिकारी होगा।

बशर्ते कि इस नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आयोग को एक ही व्यक्ति को एक से अधिक वार्ड के निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदनामित या नामित करने से रोका जा सके।

(2) किसी भी चुनाव के दौरान यह निर्वाचन अधिकारी का एक सामान्य दायित्व होगा कि वह विनियम या नियमों या इसके अंतर्गत बनाये गये आदेशों के प्रावधानों के तहत समस्त कार्य करके चुनाव को प्रभावी तरीके से संपन्न करवाये।

25.<u>सहायक निर्वाचन अधिकारी :</u> (1) कार्य के निष्पादन हेतु आयोग एक या अधिक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी के सहायक के तौर पर नियुक्त कर सकता है :
बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति प्रशासन या स्थानीय प्राधिकार का अधिकारी हो।
(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होगा :
बशर्ते कि कोई भी सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के कार्य से संबंधित नामांकनों की संवीक्षा का कार्य, अगर निर्वाचन अधिकारी अपरिहार्य रूप से इस कार्य को करने के लिए उसे रोकता है तो उसे नहीं करेगा ।

26.<u>मतदान केन्द्र:</u> निर्वाचन अधिकारी आयोग के पूर्ववर्ती अनुमोदन पर, सभी वार्ड के लिए पर्याप्त मात्रा में, आयोग के निदेशानुसार, मतदान केन्द्र प्रदान करेंगे और इसे प्रकाशित भी करेंगे, एक सूची जिसमें मतदान केन्द्रों को और मतदाताओं के समूह को क्रमश: उनके दर्शाये गये मतदान क्षेत्रों को दर्शानेवाली सूची, को भी उपलब्ध करायेंगे।

27.<u>पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी :</u> (1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और ऐसे मतदान अधिकारी या अधिकारीगण जिसे वह आवश्यक समझें, मगर वह ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जो चुनाव के लिए या उसके प्रति उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किया गया, या उसकी ओर से, या किसी अन्य तरह से कार्य कर रहा हो :

बशर्ते कि अगर कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को, जो चुनाव के लिए या उसके प्रति उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किया गया, या उसकी ओर से, या किसी अन्य तरह से कार्य कर रहा हो, को छोड़कर पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी के रूप

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

में नियुक्त कर सकता है, और इस प्रकार के किसी भी नियुक्ति के मामले में, वह इस बाबत निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे :

बशर्ते यह भी कि इस उप-नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक या अधिक मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के रूप में पदनामित या नामित करने से रोका जा सके।

(2) एक मतदान अधिकारी, अगर पीठासीन अधिकारी निदेश दे तो, इन नियमों या इसके अंतर्गत बने आदेशों के तहत पीठासीन अधिकारी के सभी या किसी कार्य को कर सकता है।

(3) अगर पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो उसके कार्य को ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी अनुपस्थिति के दौरान इस प्रकार के कार्य के निष्पादन हेतु पूर्व में ही प्राधिकृत किया गया हो।

(4) मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य दायित्व होगा कि वहाँ आदेशों का पालन हो और यह देखे कि मतदान सही तरीके से हो रहा हो।

(5) मतदान अधिकारी(यों) का यह सामान्य दायित्व होगा कि वह मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने में सहायता करे।

अध्याय - IX

राजनीतिक दल

28.राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्हों का आरक्षण :

(1) किसी भी वार्ड में चुनाव के उद्देश्य से भारत के चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के तहत जिसे "राष्ट्रीय दल" या "राज्य दल" के रूप में मान्यता दी गई है वह संघ प्रदेश में भी उसी राजनीतिक दल के रूप में जाना जायेगा और उन दलों के द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह ही आबंटित की जायेगी और कोई अन्य चिन्ह नहीं प्रदान किया जायेगा।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(2) चुनाव चिन्हों का चयन एवं आबंटन, जहाँ तक व्यावहारिक हो, चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के तहत किया जायेगा।

अध्याय - X

उम्मीदवारों का नामांकन

29. नामांकन आदि के लिए तिथि का निर्धारण : नियम-23 के तहत अधिसूचना के जारी होते ही, आयोग, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर घोषणा कर सकता है कि,

(क) नामांकन के लिए अंतिम तिथि एवं घंटा जो नियम 23 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद का सातवां दिन होगा :

(ख) नामांकन संवीक्षा की तिथि, समय एवं स्थल जो नामांकन करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद वाला दिन होना चाहिए:

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अंतिम दिन एवं घंटा, जो नामांकन की संवीक्षा के बाद दूसरा दिन हो:

(घ) मतदान के लिए तिथि या तिथियों और घंटे, अगर अनिवार्य हो तो, लिया जा सकता है, जो उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से चौदह दिनों के बाद का हो : और

(ङ) तिथि जिसके पहले चुनाव समाप्त हो जाना चाहिए।

व्याख्या :- खंड (क) (ख) एवं (ग) के लिए अगर तिथि या अंतिम तिथि सरकारी अवकाश दिवस हो तो, अगली तिथि को अगर वह सरकारी अवकाश दिवस न हो तो, परिस्थिति अनुसार, को वह तिथि या अंतिम तिथि के रूप में माना जायेगा।

30. चुनाव की सार्वजनिक सूचना :- (1) नियम 29 के तहत जारी अधिसूचना पर, निर्वाचन अधिकारी, आयोग के किसी निर्देश पर, चुनाव करवाने के लिए जैसा वह उचित समझें प्रपत्र 4 में सार्वजनिक सूचना जारी कर सकता है और चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन आमंत्रित कर सकता

है और उसमें यह दर्शाया गया हो कि नामांकन दस्तावेज कहाँ देना है और साथ ही उम्मीदवारों द्वारा चुने जाने वाला एक अनुमोदित चुनाव चिन्ह की सूची भी जारी करे।

(2) उप-नियम (1) के तहत सार्वजनिक सूचना को सरकारी राजपत्र में जारी किया जायेगा और इसकी प्रतियाँ चुनाव आयोग के कार्यालय और पंचायत कार्यालय में तथा पंचायत क्षेत्र के भीतर एक या अधिक सहज स्थलों पर लगाई जायेगी।

<u>व्याख्या</u> :- उप-नियम (1) के उद्देश्य के लिए, आयोग नियम 28 के तहत, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिये, वार्ड में चुनाव हेतु उम्मीदवारों के द्वारा चुने गये चुनाव चिन्हों को विनिर्दिष्ट करे तथा उनके रूचि की प्रतिबंधता को बताये।

31. <u>चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन</u> :- इन नियमों और विनियम के प्रावधानों के तहत, कोई व्यक्ति चुनाव में सीट को भरने के लिए, अगर वह उस सीट को भरने के लिए पात्रता रखता हो, उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया जा सकता है ।

32. <u>नामांकन पत्र की प्रस्तुतीकरण एवं वैध नामांकन के लिए अपेक्षायें</u> :- (1) नियम 29 के खंड (क) के तहत तिथि निर्धारण के पूर्व या उपरांत, प्रत्येक उम्मीदवार, या तो स्वंय या प्रस्तावक के माध्यम से, मध्याह्न ग्यारह बजे से लेकर अपराह्न तीन बजे तक के दौरान, नियम 30 के तहत सूचना जारी कर इसके लिए विनिर्दिष्ट स्थल पर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें, नामांकन दस्तावेज प्रपत्र-5 में पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए जिसमें साफ तरीके से वार्ड को दर्शाया जाये जहाँ से उम्मीदवारी करने का प्रस्ताव है और यह आवेदक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए कि वे नामांकन भर रहा है जिसपर प्रस्तावित वार्ड के किसी एक मतदाता का भी हस्ताक्षर होना चाहिए :

बशर्ते कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी को नहीं दिये जायेंगे।

(2) वार्ड में, अगर कोई सीट महिला के लिए आरक्षित है तो, अभ्यर्थी उस सीट को चुनने के लिए पात्र नहीं होगा अगर वह नामांकन दस्तावेज में यह घोषणा नहीं करती है कि वह महिला है।

(3) वार्ड में, अगर कोई सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो, अभ्यर्थी उस सीट को चुनने के लिए पात्र नहीं होगा अगर वह नामांकन दस्तावेज में यह घोषणा नहीं करता है कि वह संबंधित जाति या जनजाति का सदस्य है।

(4) नियम 29 के खंड (क) के तहत निर्धारित अंतिम तिथि के अपराह्न तीन बजे के बाद किसी भी प्रकार का नामांकन पत्र नहीं लिया जा सकेगा और ऐसे पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(5) नामांकन पत्र को प्रस्तुत करने पर, निर्वाचन अधिकारी स्वंय इस बात से संतुष्ट हो कि नाम और निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार का क्रम और उसका प्रस्तावक जैसा कि नामांकन पत्र में प्रविष्टि किया गया है, वह निर्वाचक नामावली के प्रविष्टि के समान है:

बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या कोई अन्य व्यक्ति के संदर्भ में, या किसी स्थल के संदर्भ में, जो कि निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में दर्शाया गया है और ऐसे किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में निर्वाचक क्रमांक में लिपिकीय, तकनीकि या मुद्रण त्रुटि हो या कोई गलत नाम या त्रुटिपूर्ण विवरण या लिपिकीय, तकनीकि या मुद्रण त्रुटि पाया जाये,जो कि निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र की प्रक्रिया, जिसे किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति या किसी स्थल के संदर्भ में उस व्यक्ति के नाम या स्थल को जो सामान्य रूप से अभिप्रित है, को प्रभावित करता है, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे किसी भी मिथ्या नाम या त्रुटिपूर्ण विवरण या लिपिकीय, तकनीकि या मुद्रण त्रुटि को संशांधित करने की अनुमति दे सकतें हैं और जहाँ अनिवार्य हो यह निदेश भी दे सकती हैं कि निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी मिथ्या नाम या त्रुटिपूर्ण विवरण या लिपिकीय, तकनीकि या मुद्रण त्रुटि को नजरअंदाज किया जाये।

(6) जहाँ उम्मीदवार किसी अलग वार्ड का मतदाता है, तो संवीक्षा के समय वह उस वार्ड के निर्वाचक नामावली की एक प्रति या उसका अंश या उस नामावली की संबंधित प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करे।

(7) इन नियमों में किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा नामांकन पत्र देने पर रोक नहीं होगा ।

बशर्ते कि एक ही वार्ड के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से चार से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल या निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

33. **<u>चुनाव चिन्ह</u>** :- (1) चुनाव आयोग द्वारा किसी सामान्य या विशेष निदेश पारित किये जाने की शर्त पर, जहाँ ऐसे किसी चुनाव में उम्मीदवार या उसकी ओर से एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किये गये हो तब प्रथम प्रस्तुत नामांकन पत्र में ही उसे चुनाव चिन्ह की घोषणा करनी होगी, और चुनाव चिन्ह के संदर्भ में अन्य कोई भी घोषणा, पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही वह नामांकन पत्र अस्वीकार क्यों नहीं कर दिया गया हो।

(2) नियम 32 के तहत दिया जाने वाले प्रत्येक नामांकन पत्र में, जिसके साथ उम्मीदवार के द्वारा लिखित रूप में यह घोषणा होनी चाहिए कि वह आयोग द्वारा दिये गये चुनाव चिन्ह की सूची में किस चिन्ह को प्रथम वरीयता देता है, साथ ही दो अन्य चुनाव चिन्हों को भी उपलब्ध सूची से क्रमश: वरीयता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

34. <u>जमानत राशि</u> :- (1) एक उम्मीदवार तब तक अपना नामांकन भरने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह पचीस सौ रूपये की राशि और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए एक हजार रूपये की राशि जमा नहीं करता। अगर उम्मीदवार कुल वैध मतों का कम से कम छठा भाग मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर ली जायेगी। अगर जमानत राशि जब्त नहीं होती है, तो चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद यह राशि उम्मीदवार को वापस कर दी जायेगी।

बशर्ते कि अगर एक ही वार्ड के लिए उम्मीदवार ने एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे इस उप-नियम के तहत एक से अधिक जमानत राशि को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) कोई भी राशि जिसे उप-नियम (1) के तहत जमा करना अनिवार्य है, उसे जमा किया हुआ नहीं समझा जायेगा अगर नियम 32 के उप-नियम (1) के तहत नामांकन के समय ही उम्मीदवार द्वारा इस राशि को निर्वाचन अधिकारी को नकद के रूप में या नामांकन पत्र के साथ रसीद की प्रति में यह उल्लेख कर जमा न कर दिया है कि उसने यह राशि खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से जमा कर दी है।

35. <u>नामांकन तथा उसकी संवीक्षा के लिए समय एवं स्थल की सूचना</u> : निर्वाचन अधिकारी, नियम 32 के तहत नामांकन पत्र प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को सूचित करेंगे कि नामांकन की संवीक्षा के लिए कौन सी तिथि, समय और स्थल का निर्धारण किया गया है और उस नामांकन पत्र पर क्रम संख्या की प्रविष्टि कर हस्ताक्षरित करते हुए यह प्रमाण-पत्र देंगे कि किस तिथि और किस समय उसे नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, और उसके बाद शीघ्रताशीघ्र, अपने कार्यालय के कुछ सहज स्थल पर उनके द्वारा प्राप्त नामांकन की सूचना दे साथ ही यह विवरण भी दे जैसा कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा प्रपत्र-6 में दिया गया है।

36. <u>नामांकन की संवीक्षा</u> : (1) नियम 29 के खंड (ख) के तहत नामांकन की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को, उम्मीदवार, उनके चुनाव ऐजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक और कोई एक अन्य व्यक्ति जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया है, लेकिन और कोई व्यक्ति

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

नहीं, निर्धारित समय एवं स्थल पर, उपस्थित हो सकते हैं, और निर्वाचन अधिकारी, नियम 35 के तहत और निर्धारित समयावधि के दौरान प्राप्त होने वाले सभी उम्मीदवारों की नामांकन पत्र को उन सभी को संवीक्षा करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेंगे।

(2) उसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों को जाँचेंगे और किसी भी नामांकन के लिए की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेंगे, और, या तो आपत्तियों के आधार पर या स्वत: प्रेरणा से, ऐसे सार जाँच के उपरांत, अगर वह अनिवार्य समझें तो, निम्नलिखित किसी भी आधार पर किसी भी. नामांकन को अस्वीकार कर सकते हैं, जैसे :-
(क) नामांकन की संवीक्षा के लिए तय तिथि को या तो उम्मीदवार स्वत: पात्रता न रखे या इस विनियम या इन नियमों के तहत वह सीट को भरने में चयन के लिए अपात्र हो :

(ख) नियम 32 या 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में वह किसी भी प्रकार से अक्षम हो : या
(ग) नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर अप्रामाणिक हो।

(3) उप नियम (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर किसी उम्मीदवार के नामांकन को नामांकन पत्र में अनियमितताओं के आधार पर अस्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, अगर उम्मीदवार अन्य नामांकन पत्र के जरिये नामांकित किया गया हो और उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती हो तो।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को किसी भी त्रुटि के आधार पर नहीं अस्वीकार कर सकता जो सारभूत प्रकृति के हों।

(5) नियम 29 के खंड (ख) के तहत इसके लिए निर्धारित तिथि को ही निर्वाचन अधिकारी संवीक्षा करेंगे और प्रक्रिया को किसी भी स्थगन के लिए, किसी भी प्रकार के दंगे या उन्मुक्त हिंसा या उनके नियंत्रण से बाहर की स्थिति को छोड़कर, अनुमति नहीं देंगे :

इस प्रावधान के साथ कि अगर कोई आपत्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हो तो संबंधित उम्मीदवार को इसे पुन: प्रस्तुत करने के लिए समय की अनुमति दी जायेगी जो संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से अगले दिन की होगी, और निर्वाचन अधिकारी अपने निर्णय को लिखित रूप में तैयार करेंगे कि प्रक्रिया को किसी दिन के लिए स्थगित की गई है।

(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर स्वीकार या अस्वीकार के निर्णय का पृष्ठांकन करेंगे और, अगर नामांकन पत्र अस्वीकार किया गया है तो, उनके द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित तौर पर देंगे।

(2) इस नियम के उद्देश्य के लिए उस समय प्रभावी निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की एक अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ही इस बात का प्रमाण होगी कि व्यक्ति जिसे इस प्रविष्टि के लिए संदर्भित किया गया है वह उस वार्ड का मतदाता है।

(3) सभी नामांकन पत्रो की संवीक्षा और उसके ऊपर स्वीकार या अस्वीकार का पृष्ठांकन होने के तुरंत बाद, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-7 में वैध पाये गये नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेंगे, जिसमें उन उम्मीदवारों की भी सूची होगी जो अयोग्य पाये गये हैं, और इसे सूचना पट्ट पर लगाया जाये। सूची को अंग्रेजी और गुजराती में तैयार किया जाये और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किया जाये।

(4) प्रपत्र - 7 में सभी उम्मीदवारों का नाम उसी प्रकार लिखा जाये जैसा कि नामांकन पत्र में दर्ज किया गया है।

इस प्रावधान के साथ कि अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि उसके नाम की वर्तनी गलत है या नामांकन पत्र में किसी गलत तरीके से लिखा गया है या जिस नाम से वह प्रसिद्ध है उससे भिन्न है तो, वह, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने से पूर्व, लिखित रूप से आवेदन देकर जिसमें उसका सही नाम और वर्तनी दर्ज हो, निर्वाचन अधिकारी से निवेदन कर सकता है, निवेदन की यथार्थता से संतुष्ट होने के उपरांत, सूची में आवश्यक सुधार या संशोधन किया जा सकता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम की प्रकृति और वर्तनी को अंगीकृत किया जा सकता है।

37. <u>उम्मीदवारी वापस लेना</u> :- (1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र-8 में लिखित रूप से उम्मीदवारी वापस लेने के लिए सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, निर्वाचन अधिकारी इसे प्रस्तुत किये जाने की तिथि एवं समय को लिखेंगे।

(2) उम्मीदवारी वापस लेने की प्रत्येक सूचना जो कि उप-नियम (1) के तहत दी गई है वह उम्मीदवार के द्वारा अभिदत्त किया गया हो और वह अपराह्न तीन बजे से पहले, जो कि नियम 29 के खंड (ग) के तहत निर्धारित तिथि है, को निर्वाचन अधिकारी को, उम्मीदवार के द्वारा

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक के द्वारा, या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐजेंट के द्वारा लिखित रूप से दिया जाना चाहिए।

(3) अगर कोई व्यक्ति, उप-नियम (1) के तहत अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए सूचना देता है, तो उसे ऐसी सूचना को रद्द करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अधिकारी उप-नियम (1) के तहत उम्मीदवारी वापसी की सूचना की वास्तवितकता. और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान करने के पश्चात, ही अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इस सूचना को लगायंगे।

38. <u>चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन</u> : (1) नियम 37 के तहत उम्मीदवारी वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही, निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की सूची को तैयार कर प्रकाशित करेंगे, इस बात को दर्शाने के लिए कि उम्मीदवार जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है वह वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार हैं और उन्होंने कथित अवधि में प्रपत्र सं.9 के तहत अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है ।

(2) कथित सूची में चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों के नाम एवं पते होंगे जैसा कि नामांकन पत्र में दर्ज है। सूची उम्मीदवारों को आबंटित चुनाव चिन्हों को भी दर्शायेगी ।

(3) निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा भरे गये नामांकन पत्र के अनुसार ही अगर इस संदर्भ में आयोग ने सामान्य या विशेष निदेश नहीं जारी किये हैं, तो उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करेंगे ।
(क) जहाँ तक व्यावहारिक हो प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग चुनाव चिन्ह आबंटित करेंगे, जैसा वह चाहते हैं : और
(ख) अगर भाग लेने वाले अधिक उम्मीदवारों ने एक ही चुनाव चिन्ह की इच्छा जाहिर की है तो कई के द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे वह चुनाव चिन्ह आबंटित करना है ।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को आबंटित किया गया चुनाव चिन्ह अंतिम होगा अगर इस बारे में आयोग के द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है तो, जिसके तहत आयोग जैसा उचित समझे एक परिशोधित सूची आबंटित कर सकता है ।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके चुनाव ऐजेंट को आबंटित चुनाव चिन्ह की सूचना देनी होगी और निर्वाचन अधिकारी द्वारा नमूना चिन्ह की भी आपूर्ति करनी होगी ।

(6) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके लिए आबंटित चुनाव चिन्हों की सूची तैयार कर आयोग एवं पंचायत चुनाव निदेशक को भेजा जाना चाहिए ।

39. <u>निर्विरोध चुनाव के परिणाम की घोषणा</u> :

(1) अगर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या एक है तो,निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-21 बी या 21-सी जैसा लागू हो, उसमें यह घोषणा कर सकता है कि ऐसा उम्मीदवार उस सीट को भरने के लिए चुन लिया गया है और इस घोषणा की एक हस्ताक्षरित प्रति आयोग और पंचायत चुनाव निदेशक को भेजेंगे ।

(2) अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है तो, आयोग सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, वार्ड को सीट को भरने के लिए एक सदस्य का चुनाव करने के लिए बुला सकता है ।

इस प्रावधान के साथ कि वार्ड को इस नियम के तहत पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है और वार्ड एक सदस्य को सीट भरने के लिए चयन करने में अक्षम हुआ है, आयोग पुन: वार्ड को आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं होगा अगर वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पुन: बुलाने पर, वार्ड की ओर से कोई असमर्थता नहीं होगी ।

<u>अध्याय</u> XI
<u>उम्मीदवार एवं उनके एजेंट</u>

40. <u>चुनाव एजेंटों की नियुक्ति एवं कार्य</u> :

(1) चुनाव में एक उम्मीदवार प्रपत्र-10 में किसी एक व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति, निर्वाचन अधिकारी को दो प्रतियों में ही दी जानी चाहिए जिसमें एक प्रति को चुनाव एजेंट को अपनी मुहर एवं हस्ताक्षर लगाकर वापस कर देगा जिसके तहत उसकी नियुक्ति को अनुमोदित किया जायेगा।

(2) अगर कोई व्यक्ति विनियम के तहत पंचायत सदस्य के लिए समय सीमा तक अयोग्य करार दिया जाता है तो वह व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत चुनाव एजेंट के रूप में नियुक्त करने हेतु, अयोग्यता अवधि तक के लिए, अयोग्य करार दिया जायेगा।

(3) किसी चुनाव एजेंट की नियुक्ति को प्रपत्र-11 के तहत प्रतिसंहरित किया जा सकता है । ऐसे प्रतिसंहरण उम्मीदवार के द्वारा हस्ताक्षरित किये होने चाहिए और यह निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करने की तिथि से प्रभावी होगा ।

(4) चुनाव एजेंट के ऐसे प्रतिसंहरण या मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उम्मीदवार, किसी भी समय, चुनाव परिणाम की घोषणा से पूर्व, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव एजेंट नियुक्त कर सकता है ।

(5) एक चुनाव एजेंट को चुनाव से संबंधित और इन नियमों के तहत चुनाव एजेंट के लिए बनाये गये कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है ।

41. मतदान एजेंट की नियुक्ति और प्रतिसंहरण :

(1) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उस उम्मीदवार की ओर से उनकी अनुपस्थिति में उसके मतदान एजेंट के कृत्य के निर्वाहन के लिए एक मतदान एजेंट और एक विकल्प एजेंट नियुक्त कर सकता है ।

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति प्रपत्र-12 में किया जाना चाहिए और इसे मतदान एजेंट को दिया जाना चाहिए ताकि वह मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर सके।

(3) किसी भी मतदान एजेंट को मतदान केन्द्र पर रहने की अनुमति नहीं होगी अगर वह उप-नियम (2) के तहत अपनी नियुक्ति के दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी को नहीं सौंपता जो पूर्ण रूप से भरा एवं पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया हो और जिसमें घोषणा भी हो ।

(4) किसी भी मतदान एजेंट का प्रतिसंहरण उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के द्वारा प्रपत्र13 में हस्ताक्षरित रूप में होना चाहिए। यह उस समय और तिथि से प्रभावी होगा जब से इसे पीठासीन अधिकारी को सौंपा जायेगा।

(5) ऐसे किसी भी प्रतिसंहरण या मतदान एजेंट की मृत्यु की स्थिति में, उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट, मतदान समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से नई नियुक्ति कर सकता है।

42. <u>**गणना एजेंटों की नियुक्ति :**</u> (1) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट, एक या अधिक व्यक्तियों को गणना एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है मगर वह संख्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या से ज यादा नहीं हो, जो उसके लिए गणना एजेंट या मतों की गिनती के लिए एजेंट के रूप में उपस्थित रहेगा, और अगर कोई ऐसी नियुक्ति की जाये तो, उसकी सूचना प्रपत्र-14 के तहत दो प्रतियों में दी जानी चाहिए, इसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए जबकि दूसरी प्रति गणना एजेंट को दिया जाना चाहिए ताकि वह निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत कर सके मगर वह मतगणना के लिए निर्धारित समय से एक घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

(2) कोई भी गणना एजेंट गणना के लिए निर्धारित स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगा यदि वह उप-नियम (1) के तहत पूर्णरूप से भरकर और हस्ताक्षर करने के उपरांत घोषणा पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की दूसरी प्रति निर्वाचन अधिकारी को नहीं सौंपता है और इसे गणना के लिए निर्धारित स्थल पर प्रवेश पत्र के रूप में निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है।

(3) एक गणना एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण प्रपत्र-15 में किया जाना चाहिए और इसे निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रतिसंहरण को उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसे निर्वाचन अधिकारी को पेश करने की तिथि से यह मान्य हो जायेगा। प्रतिसंहरण की स्थिति में, या गणना समाप्ति के पूर्व यदि गणना एजेंट की मृत्यु हो जाती है तो, उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट इस नियम के तहत नई नियुक्ति कर सकता है।

43. <u>**मतदान एजेंट एवं गणना एजेंट का कार्य :**</u>

(1) मतदान एजेंट मतदान से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सकता है जिसके लिए इन नियमों के तहत मतदान एजेंट को प्राधिकृत किया गया हो।

(2) गणना एजेंट गणना से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सकता है जिसके लिए इन नियमों के तहत गणना एजेंट को प्राधिकृत किया गया हो।

44. <u>**चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की मतदान केन्द्र पर उपस्थिति और मतदान एजेंट या गणना एजेंट के कार्यों का उसके द्वारा प्रदर्शन :**</u>

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(1) प्रत्येक चुनाव में जहाँ मतदान हो रहा हो, प्रत्येक उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को उस चुनाव में किसी भी मतदान केन्द्र पर जाने का अधिकार होगा।

(2) उम्मीदवार और उसका चुनाव एजेंट ऐसे उम्मीदवार के मतदान एजेंट या गणना एजेंट के कार्यों को स्वयं कर सकता है, अगर इसे नियुक्त किया गया है तो, जिसे प्राधिकृत किया गया है या इन नियमों के तहत कर सकता है या वह किसी ऐसे कृत्य या कार्य के द्वारा मतदान एजेंट या गणना एजेंट की सहायता कर सकता है।

45. <u>मतदान एजेंट या गणना एजेंट की अनुपस्थिति :</u>

जहाँ मतदान एजेंट या गणना एजेंट के किसी कार्य या आवश्यकता या प्राधिकृत के द्वारा या इन नियमों के तहत उनकी उपस्थिति में किया जाना है, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया समय और स्थल पर ऐसे एजंट या एजेटों की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता, अगर ऐसे कृत्य या कार्य किसी और तरीके से विधिवत किये गये हों तो, किया गया कृत्य या कार्य अमान्य करार दिया जायेगा।

अध्याय XII
चुनाव में प्रक्रिया

46. <u>मतदान से पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु</u> : अगर कोई उम्मीदवार एक मान्यता प्राप्त दल की ओर से खड़ा किया गया है तो:-

(क) नामांकन जमा करने के अंतिम दिन अगर 11:00 बजे पूर्वाहृन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका नामांकन नियम-36 के तहत संवीक्षा के दौरान वैध पाया जाता है।

(ख) जिसका नामांकन नियम 36 के तहत संवीक्षा करने पर वैध पाया जाता है और नियम 37 के तहत वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेता, किसी भी स्थिति में नियम 38 के तहत उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने से पूर्व किसी भी समय; या

(ग) एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और मतदान आरंभ होने से पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो,

निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु की रिर्पोट की सच्चाई को जानने के बाद संतुष्ट होते हुए, आदेश के द्वारा, मतदान को प्रत्यादेशित करेंगे और इस सच्चाई की रिर्पोट आयोग और पंचायत चुनाव निदेशक को देंगे और चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया को एक नये सिरे से आरंभ करेंगे, जैसे नये चुनाव के लिए किया जाता है:

बशर्ते कि एक मतदान का प्रत्यादेशित करने का आदेश खंड (क) के संदर्भ के आधार पर किया जाये और जिसमें सभी नामांकनो की संवीक्षा के साथ अपघातित उम्मीदवार के नामांकन की संवीक्षा शामिल नहीं किया गया हो।

पुन: इस प्रावधान के साथ कि मतदान के प्रत्यादेश के समय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार व्यक्ति के मामले में कोई अन्य नामांकन अनिवार्य नहीं होगा।

पुन: इस प्रावधान के साथ भी कि प्रत्योदश के पूर्व अगर किसी ने नियम 37 के उप-नियम (1) के तहत अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिया सूचना दी हो तो वह प्रत्यादेश के पश्चात चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए अयोग्य होगा।

<u>व्याख्या:</u> इस नियम के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का आशय भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्गत चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के तहत मान्यता प्राप्त दलों से है।

47. <u>प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव में प्रक्रिया:</u> (1) अगर भरे जाने वाले सीट से ज्यादा संख्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की हो, तो चुनाव होगा ।

(2) अगर चुनाव अनिवार्य हुआ, तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट को आपूत्ति करेंगे-

(क) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची; और

(ख) उन्हें आबंटित चुनाव चिन्हों का नमूना।

48. <u>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उनके लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पात्रता:</u> संदेह को दूर करने के लिए एतद्‌द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या एक महिला एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे जो सीट उस जाति या जनजाति के सदस्यों या महिला के लिए आरक्षित होगी, अगर वह इस विनियम एवं इन नियमों के तहत किसी अन्य तरीके से इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो।

49. <u>मतदान के लिए तय घंटों का प्रकाशन :</u> आयोग मतदान के लिए घंटों को निर्धारित करे जिसके दौरान मतदान होना है और निर्धारित घंटों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्‌वारा प्रकाशित भी करवाये ।

इस प्रावधान के साथ कि वार्ड में एक चुनाव में मतदान के लिए किसी एक दिन में इसकी कुल अवधि आठ घंटे से कम न हो ।

50. <u>मतदान सामान्यत: प्रत्यक्ष हो :</u> सभी मतदाता जो चुनाव में मतदान करना चाहते हों वह मतदान केन्द्र पर प्रत्यक्ष रूप से आयेंगे, और कोई भी मत परोक्ष रूप में प्राप्त नहीं किया जायेगा।

51. <u>आपातकालीन स्थिति में मतदान का स्थगन :</u> (1) किसी चुनाव में अगर, किसी मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया को किसी दंगे या खुली हिंसा के द्वारा बाधित या उसमें हस्ताक्षेपित किया जा रहा हो, या अगर चुनाव के दौरान किसी मतदान केन्द्र पर मतदान किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो पाना संभव न हो तो, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी मतदान को स्थगित कर देंगे जिसकी अगली तारीख बाद में घोषित की जायेगी, और जहाँ मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित किया जा रहा हो, वह उसके बाद इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देंगे।

(2) जब कभी, उप-नियम (1) के तहत मतदान स्थगित हो तो, निर्वाचन अधिकारी शीघ्रताशीघ्र पंचायत चुनाव निदेशक और आयोग को वस्तुस्थिति की जानकारी देंगे और आयोग के पूर्व अनुमोदन पर एक सूचना प्रकाशित करेंगे जिसमें पुन: मतदान के लिए तिथि का जिक्र होगा जिस स्थिति से मतदान को स्थगित किया गया था और मतदान केन्द्र तय किया जायेगा जहाँ, और घंटे जिसके दौरान, मतदान होगा, और तबतक मतदान की गणना नहीं की जायेगी जबतक स्थगित मतदान पूर्ण न हो जाये।

(3) उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक मामले में, निर्वाचन अधिकारी आयोग के निदेश के अनुसार उप-नियम(2) के तहत मतदान के निर्धारण हेतु तिथि, स्थल और घंटों को अधिसूचित करेंगे।

52. <u>मतदान के स्थगन की प्रक्रिया :</u> (1) अगर नियम 51 के तहत किसी मतदान केन्द्र का मतदान स्थगित होता है तो, नियम 49 के प्रावधानों, जहाँ तक व्यवहारिक हो, नियम 49 के अंतर्गत इसके लिए तय घंटे में अगर मतदान समाप्त होता है तो लागू होगा ।

(2) जब नियम 51 के उप-नियम (2) के तहत किसी स्थगित मतदान को पुन: किया जाता है तो स्थगित मतदान के दिन जिन मतदाताओं ने मतदान किया है उन्हें पुन: मतदान की अनुमति नहीं होगी ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(3) निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहाँ स्थगित मतदान हो रहा है, एक सीलबंद थैली देगा जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी और एक नयी मतपेटी देगा ।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपस्थित मतदान एजेंटों की मौजूदगी में सीलबंद थैली को खोलेंगे और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को उन मतदाताओं के नाम पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में लायेंगे जिन्हें मतदान स्थगन के दिन मतपत्र तो जारी किये गये थे परंतु वह मतदान नहीं कर पाये थे और उसे क्रमांकित नहीं किया जायेगा ।

(5) नियम-51 के प्रावधान वैसे ही एक स्थगित मतदान को संपन्न करवाने के लिए लागू होंगे जैसा की वह मतदान के स्थगन के पूर्व में लागू थे ।

53. <u>बुथ कब्जा के कारण मतदान का स्थगन या चुनाव का प्रत्यादेशन :</u> (1) किसी भी चुनाव में-

(क) अगर किसी मतदान केन्द्र पर इस प्रकार बुथ कब्जा होता है जो मतदान पर असर डाले तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जायेगा; या
(ख) अगर किसी मतों की गणना के स्थल पर इस प्रकार बुथ कब्जा होता है जो मतगणना पर असर डाले तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जायेगा;

निर्वाचन अधिकारी इस विषय की रिपोर्ट आयोग को देंगे।

(2) आयोग, उप-नियम (1) के तहत निर्वाचन अधिकारी से रिर्पोट मिलने पर और सभी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखने के बाद -
(क) उस मतदान केन्द्र के मतदान को अमान्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान के लिए तिथि नियुक्त, और घंटों का निर्धारण करेगा और नियुक्त तिथि एवं निर्धारित घंटे को इस प्रकार अधिसूचित करेंगे जो योग्य हो, या
(ख) अगर इस बात से संतुष्ट हो कि बुथ कब्जे से जुड़े मतदान केन्द्र अधिक संख्या में हैं, जिससे परिणाम प्रभावित हो सकता है तो, या बुथ कब्जा मतों की गणना को इस प्रकार प्रभावित कर सकता है कि जिससे चुनाव के परिणाम पर असर होगा, उस वार्ड के चुनाव को स्थगित कर सकता है।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

<u>व्याख्या</u> :- इस नियम के उद्देश्य से, जिसमें बुथ कब्जा शामिल है, अन्य चीजों के साथ, निम्मलिखित क्रियाकलापों में सभी या किसी, जो-

(i) किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा मतदान के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र को कब्जे में लिया गया हो, मतदान प्राधिकारियों को मतपत्रों को अभ्यर्पित करने को कहे या कोई ऐसा कृत्य करे जो चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करने में प्रभाव डाल रहा हो;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा मतदान के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र को कब्जे में लिया गया हो, और केवल अपने लोगों या अपने समर्थकों को ही मतदान के अधिकार का उपयोग करने दिया जा रहा हो और अन्यों को मतदान करने से रोका जा रहा हो;

(iii) किसी मतदाता को धमकी दिया जाये और उसे मतदान करने से रोकने के लिए मतदान केन्द्र तक आने से रोका जाये ;

(iv) किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा मतों की गणना के लिए निर्धारित मतगणना केन्द्र को कब्जे में लिया गया हो, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों को अभ्यर्पित करने को कहे या कोई ऐसा कृत्य करे जो मतों की गणना को सफलतापूर्वक संपन्न करने में प्रभाव डाल रहा हो ;

(v) किसी उम्मीदवार के भावी चयन में सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति के द्वारा ऊपर वर्णित सभी या किसी कृत्य या प्रचार या गुप्त रूप से सहयोग किया जा रहा हो जो हो तो।

54. <u>मतपेटियों आदि के नष्ट होने की स्थिति में नया मतदान :</u> (1) किसी चुनाव में अगर:-

(क) अगर किसी मतदान केन्द्र के किसी मतपत्र पेटी को अवैध तरीके से पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी की परिरक्षा से ले लिया जाता है, या दुर्घटना में या जान बुझकर नष्ट कर दिया जाये या गुम हो गया हो या उसे मारकर तोड़ा गया हो कि वह मतदान केन्द्र के मतदान को प्रभावित करे तो उसे निश्चित नहीं किया जायेगा; या
(ख) मतदान केन्द्र पर मतदान के दरमियान प्रक्रिया में किसी प्रकार के ऐसी गलती या अनियमितता हुई हो, जिससे चुनाव बाधित हो सकता है,

तो निर्वाचन अधिकारी इस विषय का रिपोर्ट आयोग को करेंगे।

(2) उसके ऊपर आयोग, सभी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुऐ, या तो:-

(क) वह मतदान केन्द्र के मतदान को अमान्य घोषित करेंगे, उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान के लिए तिथि नियुक्त, और घंटों का निर्धारण करेंगे और नियुक्त तिथि एवं निर्धारित घंटे को इस प्रकार अधिसूचित करेंगे जो योग्य हो, या

(ख) अगर इस बात से संतुष्ट हो जाये कि मतदान केन्द्र पर नये मतदान का परिणाम, किसी भी तरह से, उस वार्ड के चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता या प्रक्रिया में गलती या अनियमितता का कोई अर्थ नहीं है, तो वह निर्वाचन अधिकारी को ऐसे निदेश जारी कर सकता है कि चुनाव को पूर्ण करने कि लिए अतिरिक्त प्रबंध उपयुक्त है।

(3) इस विनियम एवं इन नियमों के अंतर्गत बनाये गये प्रावधान ही प्रत्येक नये मतदान के लिए लागू होगा जैसा की वह वास्तविक मतदान के लिए लागू होता है।

55. <u>मतपेटियों की बनावट</u> :- प्रत्येक मतपेटी को निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित तरीके से ही बनाई जाये।

56. <u>मतपत्रों के प्रपत्र</u> :- (1) प्रत्येक मतपत्र में एक अधपन्ना होगा, और कथित मतपत्र और उसका अधपन्ना इस रूप में हो कि वह गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में या आयोग के निदेशानुसार बने हो।

(2) मतपत्रों पर उम्मीदवारों का नाम इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाये जैसा उन्हें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में दर्शाया गया हो।

(3) अगर दो या अधिक उम्मीदवारों का नाम एक समान हो तो, वह अपनी पहचान अपने व्यावसाय या पता या किसी अन्य तरीके से करेंगे।

57. <u>मतदान केन्द्र पर व्यवस्था</u> :- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाये कि-

(क) एक सूचना जिसमें मतदान क्षेत्र के मतदाताओं का वर्णन हो जो उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार हैं और अगर एक मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो तो मतदाताओं का विवरण जो हकदार हैं, और

(ख) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के सूची की प्रति।

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, एक या अधिक मतदान कक्ष बनाया जाये ताकि मतदाता मतदान कर सकें और इसे प्रेक्षण से आवृत किया जाये।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में मतपेटियाँ, निर्वाचक नामावली की प्रतियों के संबंधित भाग, मतपत्र, मतपत्र पर चिन्ह अंकित करने के लिए यंत्र और ऐसे अन्य वस्तुऐं उपलब्ध करवाये, जो मतदान संपादित करने के लिए अनिवार्य हों।

58. <u>**मतदान केन्द्र में प्रवेश**</u> : पीठासीन अधिकारी किसी भी समय मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं की संख्या को निर्धारित कर सकता है और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें निकाल भी सकता है:-

(क) मतदान अधिकारी को;

(ख) चुनाव से संबंधित कार्य को करने के लिए लगे सार्वजनिक सेवकों को;

(ग)आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को;

(घ) उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट और प्रत्येक उम्मीदवार के एक मतदान एजेंट को;

(ङ) मतदाता के गोद में आये किसी बच्चे को;

(च) वह व्यक्ति जो किसी अंधे या अशक्त मतदाता के साथ आया हो जो बिना मदद के चल नहीं सकता हो; और

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने चुनाव कार्य में लगाया हो।

59. <u>**महिला मतदाताओं के लिए सुविधा**</u> **:- (1)** जिन मतदान केन्द्रों को पुरूष एवं महिला दोनों के लिए बनाया गया हो, पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पृथक बैच में बारी-बारी से प्रवेश करने का निदेश दे सकता है।

(2) निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी किसी मतदान केन्द्र पर महिलाओं की सहायता के लिए एक महिला को सहायिका के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जो महिला मतदाता के संदर्भ में, और विशेषकर, जब अनिवार्य हो तो किसी महिला की खोज करने के मामले में सामान्य रूप से पीठासीन अधिकारी की सहायता करेगी।

60. <u>मतदाताओं की पहचान</u> :- (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं जो मतदाताओं की पहचान करने में उनकी मदद कर सकने के योग्य हों या मतदान के लिए किसी अन्य तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं।

(2) ऐसे मतदातओं के मतदान केन्द्र पर आते ही, इसके लिए प्राधिकृत पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता के नाम एवं अन्य विवरणों के संबंध में निर्वाचक नामावली से जाँच करेगा और फिर मतदाता की क्रम संख्या, नाम एवं अन्य विवरण को कहेंगी।

(3) अगर मतदान केन्द्र एक वार्ड में स्थित हो तो, मतदाता पंजीकरण नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत दिये गये पहचान पत्र को, मतदाता, पीठासीन अधिकारी या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) एक मतदाता को मतपत्र देने के अधिकार का निर्णय लेते हुए, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, जो भी हो, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि छोटी लिपिकीय त्रुटियों या मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगे अगर वह इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वह व्यक्ति प्रविष्टि से संबंधित समान व्यक्ति है जो मतदान करेगा ।

61. <u>मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी</u> :- (1) जहाँ पेपर सील का उपयोग मतपेटी को सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा हो, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर को पेपर सील पर करे और उसके बाद ऐसे उपस्थित मतदान एजेंट का हस्ताक्षर ले जो इसपर हस्ताक्षर करने की इच्छा रखता हो ।

(2) पीठासीन अधिकारी उसके बाद पेपर सील को उसके लिए बनाये गये स्थल पर हस्ताक्षर करने के बाद मतदान पेटी पर लगा देंगे और इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि लगाया गया सील मतपत्र को डालने वाले छद्रि को बाधित नहीं कर रहा हो ।

(3) एक मतपेटी पर उसकी सुरक्षा के लिए लगाये जाने वाले सील को इस प्रकार उपयोग में लाये जाये कि पेटी बंद करने पर; इसे बिना तोड़े खोल पाना संभव न हो ।

(4) जहाँ मतपेटियों की सुरक्षा के लिए पेपर सील का उपयोग अनिवार्य न हो, तो पीठासीन अधिकारी मतपेटियों पर सुरक्षा हेतु इस प्रकार सील लगाये कि सील मतपत्र को डालने वाले छद्रि को बाधित नहीं कर रहा हो और अगर उपस्थित मतदान एजेंट, इच्छानुसार, अपने सील लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं ।

(5) मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाये गये प्रत्येक मतपेटी पर अंदर और बाहर से लेबल लगा हो, जिस पर चिन्हित किया जाये-

(क) क्रम संख्या, अगर हो तो और वार्ड का नाम,

(ख) क्रम संख्या, अगर हो तो और मतदान केन्द्र का नाम;

(ग) मतपेटी की क्रम संख्या(जो मतदान समाप्त होने के पश्चात ही मतपेटी के बाहर लगाया जाये); और

(घ) मतदान की तिथि।

(6) मतदान आरंभ होने के तुरंत पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों को प्रदर्शित करके बतायेंगे कि मतपेटी खाली है और उप नियम (5) के तहत उनपर लेबल लगायंगे।

(7) तत्पश्चात, मतदान पत्र बंद, मुहरबंद और सुरक्षित कर पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेंटों के समक्ष रखा जायेगा ।

62. <u>**निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति**</u> :- मतदान आरंभ होने के तुरंत पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले निर्वाचक नामावली को मतदान एजेंटों और अन्य उपस्थितों को जाँचने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे ।

63. <u>**पहचान को चुनौती**</u> **:- (1)** किसी विशेष मतदाता की पहचान को कोई भी मतदान एजेंट पहले पीठासीन अधिकारी को दो रूपये जमा करके चुनौती दे सकता है और उसे प्रत्येक चुनौती के लिए ऐसा करना होगा।

(2) इस प्रकार जमा होने की स्थिति में, पीठासीन अधिकारी-

(क) व्यक्ति को चेतावनी देंगे कि उसे छद्मरूप धारण करने के लिए दण्डित किया जायेगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को पूर्णरूप से पढ़ेंगे और उससे पुछेंगे कि क्या वह वही है जिसकी प्रविष्टि नामावली में है;

(ग) प्रपत्र-16 में चुनौती दी गई मतों की सूची बनाकर उसके नाम और पते को दर्ज करेंगे ;

(घ) कथित सूची में उसके हस्ताक्षर, या बांये हाथ के अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य होगा।

(3) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात चुनौती के संदर्भ में एक संक्षिप्त जाँच करे और इसके लिए-

(क) चुनौती देने वाले को चुनौती को प्रमाणित करने के लिए अभिवर्तक प्रमाण देने को कहेंगे और व्यक्ति को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए अभिवर्तक प्रमाण देने को कहेंगे ;

(ख) चुनौती मिले व्यक्ति से उसकी पहचान स्थापित करने के लिए कोई सवाल करेंगे और उनके उत्तर को सपथ के साथ लेंगे; और

(ग) अगर कोई दूसरा व्यक्ति गवाही दे तो चुनौती मिले व्यक्ति का सपथ लागू होगा।

(4) अगर, जाँच के उपरांत, पीठासीन अधिकारी को यह लगे कि चुनौती मान्य नहीं है तो वह चुनौती पाये व्यक्ति को मतदान करने देंगे और अगर उसे लगे कि चुनौती मान्य है तो, वह उस चुनौती पाये व्यक्ति को मतदान से वंचित कर देंगे।

(5) अगर, पीठासीन अधिकारी को लगे कि चुनौती छुद्रता या अविश्वास के कारण किया गया है तो, वह उप-नियम (1) के तहत जमा की गई राशि को जब्त कर उसे पंचायत निधि में डाल देंगे, और अन्य मामले में, जाँच के निष्कर्ष पर उसे चुनौती देने वाले को वापस कर देंगे।

64. **प्रतिरूपण के प्रति रक्षोपाय** :- (1) प्रत्येक मतदाता जिनकी पहचान से पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, जैसा हो, संतुष्ट हों, तो वह अपने बांयीं तर्जनी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा जाँचने के लिए प्रस्तुत करेंगे और उसपर अमिट स्याही से चिन्ह लगाया जाये।

(2) अगर कोई मतदाता-

(क) उप-नियम (1) के अनुसार अपने बांयीं तर्जनी को जाँचने या उसपर चिन्ह लगाने से मना करता है या उसके बांयीं तर्जनी पर पहले से ही ऐसे चिन्ह हों या ऐसा लगे कि उसने स्याही के निशान को मिटाने की कोशिश की है, या;

(ख) नियम 60 के उप-नियम (3) के तहत अनिवार्य पहचान पत्र को प्रस्तुत करने से इंकार करता हो तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाये और न ही उसे मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाये।

(3) जहाँ ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में साथ-साथ मतदान हो रहे हों, एक मतदाता जिसकी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही के निशान लगें हो या जिसने अपनी पहचान पत्र प्रस्तुत की हो उसे, तथापि उप-नियम (1) और (2) में ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे मतदान के लिए मतपत्र की आपूर्त्ति की जानी चाहिए।

(4) इस नियम के किसी संदर्भ में एक मतदाता द्वारा बांयीं तर्जनी के मामले में अगर मतदाता को बांयीं तर्जनी न हो, तो इसे बांयें हाथ के किसी अन्य अंगुली के रूप में जाना जाये, और अगर उसके बांयें हाथ की सभी अंगुलियाँ कटी हो तो, उसे दायें हाथ की तर्जनी या किसी अन्य अंगुली के रूप में

जाना जाये और अगर उसके दोनों हाथ में अंगुलियाँ न हो तो, उसके बांयी या दांयी भुजा पर ऐसे निशान लगाये जायें।

65. <u>मतदाता को मतपत्र जारी किया जाना</u> : (1) प्रत्येक मतपत्र को मतदाता को जारी किये जाने से पूर्व और इसके अधपन्ने पर इस प्रकार मुहर लगाया जाये ताकि आयोग के निदेशानुसार उसको चिन्हित किया जा सके, और प्रत्येक मतपत्र को, जारी किये जाने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी द्वारा इसके पृष्ठभाग पर पूर्णरूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(2) मतदाता को मतपत्र जारी किये जाते समय, मतदान अधिकारी-

(क) उसके अधपन्ने पर मतदाता का क्रमांक रिकार्ड करेंगे जैसा कि निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में है;

(ख) कथित अधपन्ने पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे; और

(ग) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम के आगे चिन्ह लगायेंगे इस बात को दर्शाने के लिए कि उसे मतपत्र जारी किया गया है, लेकिन मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की संख्या उसपर अंकित न की जायेगी;

बशर्ते कि मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिये बिना उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जाये।

(3) किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अधपन्ने पर मतदाता के अंगूठे के निशान को अभिप्रमाणित करे।

(4) मतदान केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति मतदाता को जारी किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या को नोट नहीं करेगा।

66. <u>मतदान केन्द्र एवं मतदान कक्ष में मतदाता द्वारा मतदान को गोपनीय बनाये रखना</u> : (1) प्रत्येक मतदाता जिसे नियम 65 के तहत मतपत्र दिया गया है वह मतदान केन्द्र पर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मतदान प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए:

(2) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के उपरांत -

(क) एक मतदान कक्ष में जाये

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(ख) मतपत्र पर इस उद्देश्य से दिये गये वस्तु से उस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के निकट चिन्ह लगाये जिसके लिए वह मतदान करना या नोटा करना चाहता हो;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ा जाये ताकि मत की गोपनीयता बनी रहे;

(घ) अगर आवश्यक हो तो, मतपत्र पर अंकित किये गये चिन्ह को पीठासीन अधिकारी को दिखायें;

(ङ) मोड़े गये मतपत्र को मतपेटी में डालें; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर निकल जायें।

(3) सभी मतदाता बिना किसी अनुचित विलम्ब के मत डालेंगे ।

(4) किसी भी मतदाता को मतदान कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी जब कोई दूसरा मतदाता अंदर हो।

(5) अगर कोई मतदाता जिसे मतपत्र जारी किया गया है वह मतदान से मना करे, तो उप-नियम (2) के तहत दिये गये प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारी उसे चेतावनी देने के बाद, उसे जारी किये गये मतपत्र को, भले ही उसने उसपर अपना मत रिकार्ड किया हो या नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी के निदेश पर मतदान अधिकारी के द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मतपत्र को वापस लिये जाने के उपरांत, पीठासीन अधिकारी इसके पीछे "रद्द : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखेंगे और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे।

(7) सभी मतपत्र जिसके ऊपर "रद्द : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा गया है को एक पृथक लिफाफे में रखा जाये और उसके ऊपर "मतपत्र : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन " लिखा जाये।

(8) उप-नियम (5) के तहत जिस मतदाता से मतपत्र वापस लिया गया है उसके ऊपर कोई अन्य दण्ड न लगाते हुए, मत, अगर कुछ हो तो, मतपत्र पर लिखा होने के कारण इसकी गणना न की जाये।

67. <u>अंधे और अशक्त मतदाताओं का मतदान</u> :-

(1) अगर पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अपंगता की वजह से कोई मतदाता मतपत्र के चुनाव चिन्ह को नहीं पहचान पा रहा है या बिना सहायता के मतदान चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो, पीठासीन अधिकारी मतदाता को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह अपने साथ एक साथी को मतदान कक्ष में ले जा सकता है जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से कम न हो जो उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतदान कर सके, और, यदि

आवश्यक हो तो मतपत्र को इस प्रकार मोड़कर कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे, मत पेटी में डाल सकता है।

बशर्ते कि एक व्यक्ति एक ही मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के लिए सहचर का कार्य नहीं कर सकता है।

पुनः बशर्ते कि ,इस नियम के तहत एक मतदाता की ओर से मतदान हेतु सहचर बनने की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व वह व्यक्ति घोषणा करे कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा किया गया मतदान गुप्त रखा जायेगा और उसी दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के लिए सहचर की भूमिका अदा नहीं करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इन नियम के तहत सभी मामलों को प्रपत्र-17 में रिकार्ड करेंगे।

68. **<u>रद्द एवं वापस किये गये मतपत्र</u>** : (1) एक निर्वाचक अगर अपने मतपत्र के साथ अनजाने में इस प्रकार कृत्य करता है कि वह मतपत्र के रूप में उपयोग में लाने योग्य नहीं है, इसे निर्वाचन अधिकारी को वापस किये जाने पर और उसके द्वारा अनजान हुई इस कृत्य से संतुष्ट होने के उपरांत, उसे अन्य मतपत्र प्रदान करेगा और जो मतपत्र वापस किया गया है और उस मतपत्र का अधपन्ने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "रद्द; निरस्त" चिन्हित किया जाये।

(2) अगर कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के उपरांत यह निर्णय लेता है कि वह इसका उपयोग नहीं करेगा तो, वह इसे पीठासीन अधिकारी को वापस करे, और वापस किये गये मतपत्र के अधपन्ने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "वापस; निरस्त" चिन्हित किया जाये।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत सभी निरस्त मतपत्रों को एक पृथक थैले में रखा जाये।

69. **<u>मतदानित मत:</u>** **(1)** किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतदान कर दिये जाने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति स्वंय को मूल मतदाता के रूप में प्रस्तुत करके मतपत्र की माँग करता है तो, पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसकी पहचान के संदर्भ में पुछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में वह संतोषप्रद जवाब देता है तो, हकदार होगा, इन नियम के अधोलिखित प्रावधानों के तहत, एक मतपत्र दिया जाये (इन नियमों में इसके आगे "मतदानित मतपत्र" के रूप में संदर्भित) जैसा कि किसी अन्य मतदाता को दिया जाता है ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, मतदानित मतपत्र दिये जाने से पहले, प्रपत्र-18 की सूची में अपने नाम के सामने एक प्रविष्टि करे।

(3) एक मतदानित मतपत्र मतदान के लिए उपयोग में लाये जाने वाले अन्य मतपत्रों के समान ही होगा सिर्फ इसे छोड़कर कि-

(क) वह मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने वाले मतपत्रों के बंडल में क्रम संख्या में अंतिम मत पत्र नहीं हो।

(ख) ऐसे मतदानित मतपत्र और उसके अधपन्ने के पीछे पीठासीन अधिकारी स्वत: शब्दों में "मतदानित मतपत्र" लिखकर हस्ताक्षरित करें।

(4) निर्वाचक कक्ष में मतदानित मतपत्र पर चिन्ह लगाकर मोड़ने के बाद मतपेटी में डालने की जगह इसे पीठासीन अधिकारी को सौंपे, वह इसे इस उद्देश्य के लिए बनाये गये लिफाफे मे रखेंगे।

70. <u>मतदान की समाप्ति</u> : (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को इसके लिए निर्धारित समय के उपरांत बंद कर देंगे और उसके बाद कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर पायेगा।

इस प्रावधान के साथ कि वे सभी मतदाता जो मतदान केन्द्र बंद होने से पूर्व मतदान के लिए आ गये हैं उन्हें मतदान करने दिया जायेगा।

71. <u>मतदान के बाद मतपेटियों को सीलबंद करना</u> : (1) मतदान समाप्ति के पश्चात जैसा व्यावहारिक हो, पीठासीन अधिकारी मतपेटियों के शिगाफ बंद कर दे, और जहाँ पेटी पर शिगाफ बंद करने के लिए कोई यांत्रिक उपकरण न लगा हो तो, वह स्वत: शिगाफ को सीलबंद करे और किसी मतदान अधिकारी को अपना मुहर लगाने की अनुमति प्रदान करें।

(2) तदुपरांत मतपेटी को सीलबंद और सुरक्षित कर दिया जाये।

(3) प्रथम मतपेटी के भर जाने के कारण अगर दूसरा मतपेटी उपयोग में लाया जाता है तो, किसी अन्य मतपेटी को उपयोग में लाये जाने से पूर्व प्रथम मतपेटी को उप-नियम (1) और (2) के तहत बंद, सीलबंद और सुरक्षित किया जाना चाहिए।

(4) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधान मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी पर लागू नहीं होंगे अगर उसे आयोग ने उप-नियम (5) के तहत कार्य करने के लिए निदेश दिया हो।

(5) ऐसे किसी भी मतदान केन्द्र पर, यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से, मतदान समाप्ति के उपरांत, पीठासीन अधिकारी -

(क) मतदान केन्द्र पर मतपेटी या पेटियों में रखे गये मतपत्रों को, बिना जाँचे या उनकी गणना किये बिना और मतपत्रों की गोपनियता बरकरार रखते हुए, उसे कपड़े की थैली या कपड़े से बने लिफाफे में मतदान एजेंटों को, यह दिखाकर कि कपड़े की थैली या कपड़े से बने लिफाफे खाली हैं, स्थांतरित करे;

(ख) मतदान एजेंटों को प्रत्येक मतपेटी को जाँचने और दर्शाने के लिए अनुमति दी जाये कि वह खाली कर दिये गये हैं।

(ग) थैले या लिफाफे पर वार्ड का नाम, मतदान केन्द्र का नाम और मतदान की तिथि को लिखा जाये: और

(घ) थैले या लिफाफे को सीलबंद करके मतदान एजेंट को अनुमति दी जाये कि वह अपनी सील उसपर लगाये।

72. <u>मतपत्रों का विवरण</u> :- (1) मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी प्रपत्र-19 में मतपत्रों का विवरण तैयार कर उसे पृथक लिफाफे में संलग्न करेंगे जिसके ऊपर "मतपत्र विवरण" लिखा जाना चाहिए।

(2) पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति पर सभी मतदान एजेंटों को उपस्थित रहने के लिए कहे और कथित मतदान एजेंटों से रसीद प्राप्त कर मतपत्र विवरण में प्रविष्टियों से सत्यापित करने के बाद इसे सत्यापित प्रति के रूप में स्वंय भी अभिप्रमाणित करेगे।

73. <u>अन्य लिफाफों को सीलबंद करना</u> :- (1) पीठासीन अधिकारी उसके बाद निम्नलिखित के लिए पृथक थैली बनाये-

(क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति :

(ख) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के अधपन्ने :

(ग) मतपत्र जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तो किया गया हो परंतु मतदाता द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया हो:

(घ) कोई अन्य मतपत्र जिसे मतदाता को जारी नहीं किया गया हो:

(ङ) मतदान प्रकिया के उल्लंघन के लिए रद्द किये गये मतपत्रों को;

(च) कोई अन्य रद्द मतपत्र :

(छ) मतदानित मतपत्र से भरे लिफाफे को प्रपत्र-18 के तहत में सूची

(ज) आक्षेपित मतों की सूची; और

(झ) कोई अन्य पत्र जिसे आयोग के द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने का निदेश दिया गया हो ।

(2) ऐसे प्रत्येक लिफाफे को पीठासीन अधिकारी के मुहर से सीलबंद किया जाना चाहिए और उसपर या तो उम्मीदवार की मुहर या उसके चुनाव एजेंट या मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान एजेंट के मुहर लगाये जाने चाहिए ।

74. **<u>निर्वाचक अधिकारी को मतपेटियों आदि का अग्रेषण</u>** : (1) पीठासीन अधिकारी उसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे या सुपुर्द करायेंगे ।

(क) मतपेटियों या, जैसा हो, थैलियों या लिफाफे को नियम-71 के संदर्भ में,

(ख) मतपत्र विवरण को ;

(ग) नियम-73 में संदर्भित सीलबंद थैलियों को; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये अन्य सभी पत्र।

(2) निर्वाचन अधिकारी सभी मतपेटियों, लिफाफों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और तबतक उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे जबतक मतों की गणना आरंभ न हो जाये।

<u>अध्याय - XIII</u>

<u>मतों की गणना</u>

75. **<u>मतों की गणना</u>** :- (1) प्रत्येक चुनाव में जहाँ मतदान हुआ हो, मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी के द्वारा या उसके पर्यवेक्षण और निदेशन में किया जाना चाहिए, और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट और गणना एजेंट को यह अधिकार होगा कि वह मतगणना के समय उपस्थित रहें ।

76. **<u>मतों की गणना हेतु समय एवं स्थल</u>** :- निर्वाचन अधिकारी, मतदान के कम से कम एक सप्ताह पहले, स्थल और स्थलों की नियुक्ति कर दे जहाँ मतों की गणना की जानी है और गणना

आरंभ होने की तिथि एवं समय को भी बताया जाये और इसे लिखित रूप से प्रत्येक उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट को दी जानी चाहिए :

बशर्ते कि किसी भी कारण से अगर निर्वाचन अधिकारी को यह अनिवार्य लगे और यह पाये, तो वह निर्धारित स्थल, स्थलों, तिथि एवं समय, या उसमें किसी को भी, प्रत्येक उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट को लिखित रूप से सूचित करने के उपरांत, परिवर्तित कर सकता है ।

77. **<u>गणना के लिए निर्धारित स्थल पर प्रवेश</u>** : - (1) निर्वाचन अधिकारी गणना के लिए निर्धारित स्थल से निम्नलिखितों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को दूर कर देंगे-

(क) वैसे व्यक्ति (जिन्हें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों के नाम से जाना जाता है) जिन्हें गणना में उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया है;

(ख) आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को;

(ग) चुनाव कार्य में संलग्न सरकारी कर्मचारियों को;

(घ) उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और गणना एजेंटों को।

(2) ऐसे व्यक्ति जो उम्मीदवार के द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया गया हो या किसी अन्य तरीके से उसके लिए कार्य करता हों उसे उप-नियम (1) के खंड (क) के तहत नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि किसी गणना मेज पर कौन सा गणना एजेंट या उनका समूह गणना के दौरान निगरानी करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो, मतों की गणना के दौरान जहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गणना की जा रही है वहाँ स्वयं दुर्व्यवहार करता है या निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये वैध निदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे ड्युटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मी के द्वारा या इस उद्देश्य से निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियुक्त किये गये किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है।

78. <u>मतों की गोपनीयता बनाये रखना</u> :- (1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजेंट या अन्य व्यक्ति जिन्हें चुनाव के रिकार्डिंग या गणना या मतदान के लिए ड्युटी पर तैनात किया गया हो, वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखेंगे और बनाये रखने में सहयोग करेंगे ओर इस गोपनीयता को भंग करने वाले किसी भी सूचना को (प्राधिकृत कुछ उद्देश्यों या किसी कानून के तहत को छोड़कर) किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं करेंगे।

(2) निर्वाचन अधिकारी गणना आरंभ होने से पूर्व उपर्युक्त प्रावधान को उपस्थित सभी लोगों को पढ़कर सुनायेंगे।

79. <u>मतपेटियों की संवीक्षा और उसे खोला जाना</u> :- (1) निर्वाचन अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये मतपेटी या पेटियों को खोलेंगे और साथ-साथ उन मतपेटी या पेटियों में पाये गये मतपत्रों की गणना करेंगे।

(2) किसी गणना मेज पर किसी मतपेटी को खोलने के पूर्व, उस मेज पर उपस्थित गणना एजेंटों को को पेपर सील या ऐसे अन्य सी को जाँचने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसे उसके ऊपर लगाया गया हो ताकि वह संतुष्ट हो जाये कि वह सही है ।

(3) निर्वाचन अधिकारी भी स्वंय इस बात से संतुष्ट हो जाये कि किसी भी मतपेटी को तोड़ा नहीं गया है।

(4) अगर निर्वाचन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मतपेटी को तोड़ा गया है तो वह उसमें रखे मतपत्रों की गणना नहीं करेंगे और उस मतदान केन्द्र के लिए नियम 54 के तहत वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

80. <u>गणना के समय मतपत्रों का नष्ट या गायब होना, आदि</u> :- (1) अगर मतगणना के पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय, मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये गये मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी की परिरक्षा से अवैध तरीके से निकाला जाता है या दुर्घटनावश या जान बुझकर नष्ट या गायब किया जाता है, या फाड़ा या बर्बाद किया जाता है और जिससे उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं हो सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी इस मामले की सूचना आयोग को देंगे।

(2) उसके बाद, आयोग, सभी वस्तुओं और वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए, या तो-

(क) मतगणना को रोकने का निदेश दे सकता है, उस मतदान केन्द्र पर हुए मतदान को अमान्य घोषित कर, उस मतदान केन्द्र पर नये चुनाव के लिए दिन नियुक्त कर, और घंटे निर्धारित कर सकता है और जैसा योग्य हो उसके अनुसार नियुक्त तिथि और निर्धारित घंटों का अधिसूचित कर सकता है।

(ख) अगर इस बात से संतुष्ट हो जाये कि मतदान केन्द्र पर नये मतदान का परिणाम, किसी भी तरह से, चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता, तो वह निर्वाचन अधिकारी को कि गणना को जारी रखने और समाप्त करने के लिए और मतगणना से जुड़े चुनाव को करवाने और उसे पूर्ण करने के लिए निदेश दे सकता है ।

(3) इन नियमों के अंतर्गत बनाये गये प्रावधान ही प्रत्येक नये मतदान के लिए लागू होगा जैसा की वह वास्तविक मतदान के लिए लागू होता है ।

81. **<u>मतों की गणना</u>** :- (1) ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन, अगर इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है तो, प्रत्येक मतपेटियों से मतपत्रों को निकालकर उसे सुविधाजनक बंडलों में सजाया जाये और उसकी संवीक्षा की जाये।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकर कर सकता है-

(क) अगर उसपर कोई चिन्ह या लिखावट हो जिससे मतदाता की पहचान होती हो; या

(ख) अगर कोई भी चिन्ह मत के लिए नहीं लगाया गया हो या मतपत्र के मुखपृष्ठ पर एक उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह या उसके निकट कोई चिन्ह नहीं लगाया गया हो या मतदान के लिए आपूर्त्ति किये गये यंत्र के अलावे किसी अन्य तरीके से चिन्ह लगाया गया हो; या

(ग) एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मतदान किया गया हो; या

(घ) अगर लगाये गये मतदान चिन्ह को ऐसी जगह लगा दिया गया हो जिससे यह भ्रम पैदा होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए मतदान किया गया है; या

(ङ) अगर यह एक जाली मतदान पत्र हो; या

(च) अगर इसे इस प्रकार नष्ट या तोड़-मरोड़ दिया गया हो जिससे यह पहचान स्थापित नहीं हो पाये कि यह एक प्रमाणिक मत पत्र है; या

(छ) अगर विशेष मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत रूप से आबंटित मतपत्रों की क्रम संख्या या संरचना से मतपत्र की क्रम संख्या या संरचना भिन्न है तो; या

(ज) अगर नियम 65 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत इस पर चिन्ह या हस्ताक्षर नहीं हैं, जो होने चाहिए:

इस प्रावधान के साथ जहाँ निर्वाचन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसी कोई भी त्रुटि जो खंड (छ) या खंड (ज) में उल्लिखित है वह किसी गलती या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के कारण हुई है तो वह इस आधार पर मतपत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है:

पुन: इस प्रावधान के साथ कि मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाये कि उसपर एक से अधिक चिन्ह अंकित किये गये हैं, अगर मत का उद्देश्य विशेष उम्मीदवार को दिये गये मत से होता है।

(3) उप-नियम (2) के तहत किसी मतपत्र को अस्वीकार करने से पहले निर्वाचन अधिकारी सभी उपस्थित मतगणना एजेंटों को उस मतपत्र को जाँच करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे परंतु उसे उपस्थित मतगणना एजेंटों को या किसी अन्य मतपत्र को हाथ में लेने की अनुमति नहीं प्रदान करेंगे।

(4) अस्वीकार किये हुए प्रत्येक मतपत्रों पर शब्दों में अस्वीकृत पृष्ठांकित कर अस्वीकार किये जाने के कारणों को अपने हाथों से या रबर की मुहरों के द्वारा लिखेंगे और इसे पृष्ठांकित करेंगे।

(5) इन नियमों के तहत अस्वीकार किये गये प्रत्येक मतपत्र को एक साथ बंडल बनाकर रखा जाये।

(6) इस नियम के तहत अस्वीकार नहीं किये गये मतपत्र को एक वैध मत के रूप में गिना जायेगा:

इस प्रावधान के साथ कि मतदानित मतपत्रों की किसी भी लिफाफे को नहीं खोला जायेगा और न ही ऐसे मतपत्रों की गणना की जायेगी।

(7) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये सभी मतपेटियों के मतपत्रों की गणना करने के उपरांत;

(क) गणना पर्यवेक्षक प्रपत्र-19 में गणना का परिणाम भाग - II को भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे और उसपर निर्वाचन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे; और

(ख) निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-20 में परिणाम पत्रक में इसकी प्रविष्टि करेंगे और इसका विवरण घोषित करेंगे।

82. <u>उपयोग में लाये गये मत पत्रों को सील करना</u> :- प्रत्येक उम्मीदवार की वैध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्रों को उसके पश्चात पृथक बंडलों में बाँधा जाये और कई बंडलों में रखे गये पृथक थैलों को निर्वाचन अधिकारी के मुहर और उम्मीदवारों की मुहर, उनके चुनाव एजेंटों या गणना

एजेंटों के द्वारा जो उसपर मुहर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं; और सीलबंद किये गये थैलों पर निम्नलिखित विवरण लिखा जाना चाहिए, जैसे-

(क) वार्ड का नाम ;

(ख) मतदान केन्द्र का विवरण जहाँ मतपत्रों का उपयोग किया गया हो; और

(ग) मतगणना की तिथि।

83. <u>नियम-71 के तहत थैली या लिफाफे में स्थानांतरित मतपत्रों की गणना</u> :- नियम 79, 81 एवं 82 के प्रावधानों के उप मतपत्रों की गणना के लिए भी लागू होंगे, यदि हों तो, जिन्हें नियम-71 के उप-नियम (5) के अंतर्गत मतपेटियों से स्थानांतरित कर कपड़े की थैलियों या कपड़ायुक्त थैलियों में रखा गया है:

बशर्ते कि कथित नियमों में किसी संदर्भ के द्वारा एक मतपेटी को थैली या लिफाफे के संदर्भ में अन्वय किया गया हो जिसमें मतपेटी की सामग्रियों को स्थानांतरित किया गया हो।

84. <u>मतगणना को जारी रखना</u> :- निर्वाचन अधिकारी, जहाँ तक व्यवहारिक हो, मतगणना को निरंतर जारी रखे, किसी विराम के दौरान जब गणना लंबित रखी जाये, तो ऐसे विराम के समय वह मतपत्रों, थैलों और अन्य संबंधित पत्रों को चुनाव मुहर एवं अपने मुहर के साथ और उम्मीदवार के चुनाव एजेंट के मुहर लगवाकर सावधानी के साथ अपनी परिरक्षा में रखेंगे।

85. <u>नये मतदान के बाद गणना पुन: प्रारंभ</u> :- (1) अगर नियम 54 के तहत नये मतदान होते हैं तो, निर्वाचन अधिकारी, मतदान के उपरांत, मतों की गिनती को पुन: आरंभ करेंगे जैसा कि इसके लिए पूर्व में उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों को सूचना दी गई हो।

(2) नियम 81 और 82 के प्रावधान ऐसे अतिरिक्त गणना के लिए लागू होंगे।

86. <u>मतों की पुनर्गणना</u> :- (1) मतगणना की समाप्ति के पश्चात, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-20 में परिणाम पत्रक रिकार्ड करेंगे और उसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्जित कुल मतों के संख्या की घोषणा करेंगे।

(2) ऐसी घोषणा करने के पश्चात, एक उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में, उसके चुनाव एजेंट या उनके किसी गणना एजेंट के द्वारा लिखित रूप से निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया जाये कि पूर्ण मतों की या उसके किसी भाग की पुन: गणना की जाये साथ ही पुनर्गणना के लिए आधार का भी वर्णन किया जाये कि किस आधार पर पुनर्गणना की जाये।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर विषय का निर्णय लेने के उपरांत और आवेदन को पूर्ण या उसके भाग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या अगर उनको यह गढ़ी हुई या अनुचित लगे तो इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकते हैं ।

(4) उप-नियम (3) के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लिये गये प्रत्येक निर्णय लिखित रूप से कारण के साथ होना चाहिए।

(5) अगर निर्वाचन अधिकारी उप-नियम (3) के अंतर्गत मतगणना को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को पुनर्गणना का निर्णय लेता है तो वह-

(क) वह नियम 81 के अनुसार ही पुनर्गणना करेगा ;
(ख) ऐसी पुनर्गणना के बाद अनिवार्य परिणाम पत्रक को प्रपत्र-20 में संशोधित करेंगे; और
(ग) उनके द्वारा किये गये संशोधन की घोषणा करे।

(6) प्रत्येक उम्मीदवारों द्वारा अर्जित मतों की संख्या की उप-नियम (1) या उप-नियम (5) के अंतर्गत घोषणा के बाद, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-20 में परिणाम को पूरा करते हुए उस पर हस्ताक्षर करेंगे और तत् पश्चात पुनर्गणना के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत मतगणना को पूर्ण करने के लिए तब तक कोई कदम नहीं उठाया जायेगा जब तक वहाँ उपस्थित उम्मीदवार और चुनाव एजेंट को अपने अधिकार का प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, जैसा कि उप-नियम (2) में निहित है।

87. मतों की समानता :- अगर, जब मतगणना पूर्ण होने के पश्चात, किसी उम्मीदवारों के मध्य समान मत आते हैं और एक मत प्राप्त होने पर उसे चयनित घोषित किया जा सकता है तो,

निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के मध्य चिट्ठी निकालकर निर्णय लेंगे, और जिसके पक्ष में चिट्ठी आती है उसे एक अतिरिक्त मत प्रदान करेंगे।

88. <u>चुनाव के परिणाम की घोषणा एवं चुनाव का विवरण</u> :- (1) जब मतों की गणना समाप्त हो जाये, निर्वाचन अधिकारी, इस संदर्भ में आयोग के किसी भी दिशा-निर्देश के बिना, इन नियमो के तहत चुनाव का परिणाम की घोषणा कर सकते हैं।

(2) निर्वाचन अधिकारी -

(क) जैसा लागू हो, प्रपत्र सं.21 या प्रपत्र सं.21ए में घोषणा करे, कि किस उम्मीदवार को सबसे ज यादा संख्या में वैध मत प्राप्त हुऐ हैं, उसके पश्चात् निर्वाचित उम्मीदवारों की हस्ताक्षरित प्रति को पंचायत चुनाव निदेशक, आयोग और प्रशासक को भेजेंगे:

(ख) प्रपत्र-22 में चुनाव के रिर्टन को पूर्ण एवं प्रमाणित करे और इसकी हस्ताक्षरित प्रति आयोग एवं पंचायत चुनाव निदेशक को भेजेंगे।

89. <u>निर्वाचित उम्मीदवारों को चुनाव का प्रमाणपत्र प्रदान करना</u> : - निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचित होने की घोषणा के तुरंत बाद, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-23 में उस निर्वाचित उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाणपत्र प्रदान कर उसकी पावती प्राप्त करे जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पावती को पंजीकृत डाक द्वारा पंचायत चुनाव निदेशक को भेज दें।

90. <u>पंचायत के लिए चुने गये सदस्यों के नाम का प्रकाशन</u> :- आयोग, यथाशीघ्र संभव हो सके, निर्वाचित पंचायत सदस्यों के नाम वाली सूची को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाये और इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर और पंचायत कार्यालय में लगाये।

91. <u>उम्मीदवारों के निर्वाचन की तिथि</u> : <u>इन नियमों के उद्देश्य के लिए,</u> निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही वह दिन उम्मीदवार के निर्वाचन की तिथि के रूप में जाना जायेगा।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अध्याय - XIV

चुनाव परिणाम का प्रकाशन

92. पंचायतों के आम चुनाव के परिणाम का प्रकाशन :

जहाँ एक नये पंचायत के गठन के लिए आम चुनाव हुआ हो, जितनी जल्दी हो सके, सभी वार्ड के परिणाम घोषित होने के बाद, उन वार्डों को छोड़कर जहाँ निर्धारित तिथि को किसी कारण से मतदान नहीं हो पाया हो या इन नियमों के प्रावधानों के तहत चयन की पूर्णता अवधि को विस्तारित किया गया हो, जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया हो, निर्वाचित सदस्यों का नाम जो उन वार्डों के लिए चुने गये हैं को आयोग द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाये, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर पंचायत को गठित माना जायेगा:

इन प्रावधानों के साथ कि जारी ऐसी अधिसूचना मान्य नहीं होगी-

(क) प्रतिवारित किया जाये-

(i) किसी वार्ड या वार्डों में मतदान होने और निर्वाचन पूर्ण होने पर या निर्धारित मूल तिथि को किसी कारणवश मतदान नहीं हुआ हो या,

(ii) किसी वार्ड या वार्डों में निर्वाचन की पूर्णता को इन नियमों के प्रावधानों के तहत चयन की पूर्णता अवधि को विस्तारित किया गया हो; या

(ख) कार्यरत पंचायत की अवधि को कथित अधिसूचना के जारी होने के तुरंत पूर्व प्रभावित करता हो ।

अध्याय - XV

विविध

93. चुनाव से संबंधित मतपेटियों एवं पत्रों की परिरक्षा :-

(1) चुनाव में उपयोग लाये गये मतपेटियों को पंचायत चुनाव निदेशक के निदेशानुसार रखा जाना चाहिए।

(2) निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे-

(क) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों की थैली को जिसके साथ उनके अधपन्ने भी संलग्न हों;

(ख) उपयोग में लाये गये मतपत्रों की थैली को भले ही यह वैध, मतदानित या अस्वीकृत हों;

(ग) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के अधपन्नों की थैली को;

(घ) निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रतियों की थैली को; और

(ङ) चुनाव से संबंधित सभी अन्य पत्र।

94. <u>**चुनाव पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं जाँच**</u> :-

(1) निर्वाचन अधिकारी के परिरक्षा के दौरान-

(क) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों की थैली को जिसके साथ उनके अधपन्ने भी संलग्न हों;

(ख) उपयोग में लाये गये मतपत्रों की थैली को भले ही यह वैध, मतदानित या अस्वीकृत हों;

(ग) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के अधपन्नों की थैली को;

(घ) निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रतियों की थैली को

को नहीं खोला जाये और उसके विषय वस्तु को सक्षम अदालत के आदेश को छोड़कर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष न तो प्रस्तुत किया जाये और न ही जाँचा जाये।

(2) इस शर्त पर कि आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क की अदायगी की गई हो-

(क) चुनाव से संबंधित अन्य पत्रों को सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खोली जाये; और

(ख) आवदेन दिये जाने पर उसकी प्रति भी प्रदान की जाये।

(3) निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 88 के तहत अग्रेषित निर्वाचन की प्रतियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रति के लिए पाँच रूपये की दर से भुगतान पर प्रदान किया जाये।

95. <u>**चुनाव पत्रों का निपटान**</u> : इस संदर्भ में किसी निदेश की शर्त पर, जो आयोग द्वारा या एक सक्षम अदालत द्वारा दिया गया हो-

(क) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों की थैली को छह माह की अवधि के लिए रखा जाये और उसके बाद इस प्रकार नष्ट किया जाये जैसा आयोग निदेश दे;

(ख) अन्य थैलियों को, नियम 94 के उप-नियम (1) में संदर्भित को एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाये और उसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाये;

इस प्रावधान के साथ उपयोग में लाये गये मतपत्रों के अधपन्नों वाले थैले को आयोग के पूर्व अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जायेगा।

(ग) चुनाव से संबंधित अन्य सभी पत्रों को उस अवधि तक के लिए रखा जाये जब तक के लिए आयोग निदेश देता है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

96. यद्यपि इन नियमों में कुछ भी सम्मिलित होने पर, मतदान मशीन से मतदान और उसकी रिकार्डिंग को इस प्रकार वार्ड या वार्डों में किया जाये जैसा विहित है उसी प्रकार अपनाया जाये और जैसा चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए परिस्थित स्वरूप दिया गया है।

व्याख्या: मतदान मशीन का आशय किसी मशीन या उपकरण से है, जिसे इलेक्ट्रोनिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से मतदान एवं मतों की रिकार्डिंग के लिए संचालित किया जाये और इस नियम में मतपेटी या मतपत्रों के किसी संदर्भ में, बेशर्त सुरक्षित रखते हुऐ; संदर्भ के रूप में ऐसे मतदान मशीनों को शामिल करते हुए जहाँ आवश्यक हो ऐसे मशीनों का उपयोग किसी भी चुनाव में करेंगे।

97. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की संरचना - प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (जिसे अब मतदान मशीन के नाम से जाना जायेगा) में नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट होने चाहिए और उसकी संरचना इस प्रकार की जाये जैसा चुनाव आयोग ने अनुमोदित किया है।

98. निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान मशीन की तैयारी - (1) मतदान मशीन के मतदान यूनिट में चुनाव आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट विवरण समायोजित किया जाना चाहिए।

(2) मतदान यूनिट में उम्मीदवारों का नाम उसी क्रम मे लगा होना चाहिए जैसा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में दर्शाया गया है।

(3) अगर दो या अधिक उम्मीदवार समान नाम वाले हों, तो उन्हें उनके व्यावसाय या पता या कुछ अन्य तरीके से उनकी पहचान की जाये।

(4) इस नियम के पूर्व प्रावधानों के अधीन, निर्वाचन अधिकार:-

(क) मतदान युनिट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारां का नाम और उनका चुनाव चिन्ह के लेबल लगायें और उस युनिट को उपने सील और जो उम्मीदवार या उपस्थित उनके चुनाव एजेंट लगाना चाहते हों अपने सील लगा सकते हैं;

(ख) चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की संख्या को निर्धारित कर और नियंत्रण युनिट में उम्मीदवार निर्धारण अनुभाग को बंद करके और उस युनिट को उपने सील और जो उम्मीदवार या उपस्थित उनके चुनाव एजेंट लगाना चाहते हों अपने सील लगा सकते हैं।

99. मतदान केन्दों पर व्यवस्था -

1. निर्वाचन प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान मशीन और संबंधित निर्वाचन नामावली की प्रतियाँ और ऐसे अन्य चुनाव संबंधी सामग्री जो चुनाव संपादित करने के लिए अनिवार्य हैं उसे उपलब्ध करवायेंगे।

2. उप-नियम (1) के प्रावधानों से प्रभावित हुए बिना, निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग के पूर्ववर्ती अनुमोदन पर, एक ही परिसर में स्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए समान मतदान मशीन उपलब्ध करवायेंगे।

100. मतदान के लिए मतदान मशीन की तैयारी - (1) सभी मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाये जाने वाले मतदान मशीन के नियंत्रण युनिट और मतदान युनिट में लेबल लगा होना चाहिए, जिसपर लिखा हो-

(क) क्रम संख्या, अगर हो तो और वार्ड का नाम,

(ख) क्रम संख्या, अगर हो तो और मतदान केन्द्र का नाम;

(ग) युनिट की क्रम संख्या; और

(घ) मतदान की तिथि।

(2) मतदान आरंभ होने के तुरंत पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंट और उपस्थित अन्य व्यक्यिों को प्रदर्शित करके बतायेंगे कि मतदान मशीन में कोई भी मत पहले से ही रिकार्ड नहीं है ।

(3) मतदान मशीन के नियंत्रण युनिट को सुरक्षित बनाने के लिए पेपर सील लगाया जाना चाहिए, और पीठासीन अधिकारी उस पेपर सील के ऊपर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित मतदान एजेंटों में जो उसपर अपने हस्ताक्षर लगाना चाहता है उसके हस्ताक्षर लेंगे।

(4) इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी नियंत्रण युनिट पर पेपर सील लगायेंगे और निर्धारित स्थल पर हस्ताक्षर करेंगे और उसे सुरक्षित रखने के लिए सील लगायेंगे।

(5) नियंत्रण युनिट पर सुरक्षा के लिए लगाये जाने वाले सील को इस प्रकार लगाया जाये कि जब युनिट को बंद किया जाये तो, सील को तोड़े बिना परिणाम बटन को दबा पाना संभव नहीं हो।

(6) नियंत्रण युनिट को बंद और सुरक्षित करके पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेंटों के नजर में रखा जाना चाहिए तथा मतदान युनिट को मतदान कक्ष में रखा जाना चाहिए।

101. मतदान मशीन द्वारा मतदान हेतु प्रक्रिया - (1) एक मतदाता को मत देने की अनुमति देने से पूर्व, मतदान अधिकारी-

(क) मतदाता के निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या को प्रपत्र 25 के मतदाता पंजी में उसी प्रकार दर्ज करे जैसा कि निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में है।

(ख) कथित मतदाता पंजी पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे; और

(ग) निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति पर मतदाता के नाम के सामने इस बात को दर्शाने के लिए चिन्ह लगा दिया जाये कि उसे मतदान के लिए अनुमति दी गई है;

इस प्रावधान के साथ कि कोई भी मतदाता तबतक मतदान नहीं कर सकता/सकती है जबतक वह मतदाता पंजी पर अपने हस्ताक्षर न करे या अंगूठे का निशान न लगा दे।

(2) पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या अन्य अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वह मतदाता पंजी पर मतदाता के अंगूठे के निशान को अभिप्रमाणित करे।

102. मतदान मशीन द्वारा मतदान हेतु प्रक्रिया - (1) मतदान की अनुमति प्रदान करने के तुरंत बाद, एक मतदाता पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो मतदान मशीन के नियंत्रण युनिट का प्रभारी है के पास जायेंगे, नियंत्रण युनिट के उपयुक्त बटन को दबाकर, मतदान युनिट को, मतदाता के मत को रिकार्ड करने के लिए सक्रिय कर देंगे ।

(2) उसके बाद मतदाता अविलंब-

(क) मतदान कक्ष में जाये;

(ख) उम्मीदवार जिन्हें वह मतदान या नोटा करना चाहते हैं के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करेंगे; और

(ग) मतदान कक्ष से बाहर आयें और मतदान केन्द्र को छोड़ दें।

103. अंधे और अशक्त मतदाताओं के मत की रिकार्डिंग - (1) अगर पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अपंगता की वजह से कोई मतदाता मतदान मशीन के मतदान युनिट के चुनाव चिन्ह को नहीं पहचान पा रहा है या बिना सहायता के उपयुक्त बटन को दबाने में असमर्थ है तो, पीठासीन अधिकारी मतदाता को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह अपने साथ एक साथी को मतदान कक्ष में ले जा सकता है जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से कम न हो जो उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतदान कर सके

इस प्रावधान के साथ कि एक व्यक्ति एक ही मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के लिए सहचर का कार्य नहीं कर सकता है।

पुन: इस प्रावधान के साथ कि इस नियम के तहत एक मतदाता की ओर से मतदान हेतु सहचर बनने की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व वह व्यक्ति घोषणा करे कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा किया गया मतदान गुप्त रखा जायेंगा और उसी दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के लिए सहचर की भूमिका अदा नहीं करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इन नियम के तहत सभी मामलों को प्रपत्र-17 में रिकार्ड करेंगे।

104. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश- (1) पीठासीन अधिकारी, जब उन्हें अनिवार्य लगे, मतदान के दौरान मतदान कक्ष में जाकर ऐसे कदम उठा सकते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मतदान युनिट को किसी भी तरह से नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया है।

2) अगर पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता पर संदेह हो कि मतदान में प्रवेश किया मतदाता मतदान युनिट को तोड़ रहा है या किसी अन्य प्रकार की कोशिश कर रहा है या वह मतदान कक्ष में लंबे समय से घुसा हुआ है, तो वह मतदान कक्ष में प्रवेश कर ऐसे कदम उठा सकते हैं जो मतदान को शांतिपूर्वक एवं निर्बाध गति से चलाने के लिए अनिवार्य है।

105. मतदान के पश्चात मतदान मशीन पर सील लगाया जाना - (1) मतदान समाप्त होने के बाद जैसा व्यवहारिक हो उतनी जल्दी, पीठासीन अधिकारी नियंत्रण युनिट को बंद कर देंगे ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके की अब कोई मतदान नहीं होगा और वह मतदान युनिट से नियंत्रण युनिट को अलग भी कर देंगे।

(2) उसके बाद मतदान युनिट और नियंत्रण युनिट को सील किया जाये, और चुनाव आयोग के निदेशानुसार उसे पृथक रूप में सुरक्षित रखा जाये और उसकी सुरक्षा के लिए लगाये जाने वाले सील को इस प्रकार लगाया जाये कि सील को तोड़े बिना इसे युनिट को खोला नहीं जा सके।

(3) मतदान केन्द्रों पर उपस्थित मतदान एजेंटों को, जो अपने सील लगाना चाहते हैं, उन्हें लगाने दिया जाये।

106. <u>निर्वाचन अधिकारी को मतदान मशीनों, आदि का अग्रेषण</u> : (1) पीठासीन अधिकारी उसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे या सुपुर्द करायेंगे
(क) मतदान मशीन,
(ख) प्रपत्र 26 में भरे हुए रिकार्ड किये गये मतों का विवरण को;
(ग) नियम 104 में संदर्भित सीलबंद थैलियों को; और
(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये अन्य सभी पत्र।

(2) निर्वाचन अधिकारी सभी मतदान मशीनों, लिफाफों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और तबतक उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे जबतक मतों की गणना आरंभ न हो जाये।

107. बुथ कब्जा होने की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना - जहाँ पीठासीन अधिकारी को लगे कि किसी स्थल के मतदान केन्द्र पर या उस जगह जिसे मतदान केन्द्र निर्धारित किया गया है, पर कब्जा किया गया है तो, वह तुरंत नियंत्रण युनिट को बंद कर देगा ताकि कोई अन्य मतदान नहीं हो पाये और मतदान युनिट को नियंत्रण युनिट से अलग कर देगा।

<u>इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से मतों की गणना</u>

108. मतदान मशीनों की संवीक्षा एवं निरीक्षण - (1) निर्वाचन अधिकारी मतदान मशीन के नियंत्रण युनिट को जिसका उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए किया गया है, की संवीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे और साथ-साथ उस युनिट में रिकार्ड मतों की गिनती भी करेंगे।

(2) किसी मतदान मशीन के नियंत्रण युनिट में रिकार्ड मतों की गिनती से पूर्व उसे उप-नियम (1) के तहत गिना जाये, उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या उपस्थित मतगणना एजेंट को अनुमति दी जाये कि वह युनिट पर लगे पेपर सील का या अन्य महत्वपूर्ण सील का निरीक्षण करें और खुद को इस बात से आश्वसत कर लें कि लगाये गये सील ठीक हैं ।

(3) निर्वाचन अधिकारी स्वंय भी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी भी मतगणना मशीन के साथ हेर-फेर नहीं की गई है।

(4) अगर निर्वाचन अधिकारी को लगे कि किसी मतदान मशीन के साथ हेर-फेर किया गया है तो, वह उस मशीन में रिकार्ड किये हुए मतों की गणना नहीं करे और नियम 53 के तहत प्रक्रिया करे, जैसा कि मतदान केन्द्र या केन्द्र जहाँ उस मशीन का उपयोग किया गया है।

109. मतों की गणना - (1) अगर निर्वाचन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि वास्तव में मतदान मशीनों के साथ किसी भी प्रकार की हेर-फेर नहीं की गई है, वह उसमें रिकार्ड मतों को नियंत्रण युनिट में गणना के लिए उपयुक्त **परिणाम** बटन दबाकर कुल मतों और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्जित मतों को युनिट में दिये गये पैनल में दर्शाये।

(2) जैसे ही नियंत्रण युनिट में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्जित मत दिखायी दे, निर्वाचन अधिकारी -

(क) प्रपत्र 26 के भाग II में प्रत्येक उम्मीदवार के संदर्भ में पृथक रूप से रिकार्ड मतों को भरे;

(ख) प्रपत्र 26 के भाग II को अन्य संदर्भों में भी पूर्णरूप से भरकर इसे गणना पर्यवेक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट या उपस्थित उनके गणना एजेंटों के भी हस्ताक्षर लिये जायें; और

(ग) प्रपत्र 26 के परिणाम पत्रक में संबंधित प्रविष्टियों को किया जाये और प्रविष्टि विवरणों की घोषणा की जाये।

110. मतदान मशीनों को सील करना - (1) नियंत्रण युनिट में मतों की रिकार्डिंग का परिणाम लेने के बाद और उम्मीदवार के अनुसार परिणाम जानकर और उसकी प्रविष्टि प्रपत्र 26 के भाग II में कर लेने के उपरांत, निर्वाचन अधिकारी उस युनिट को अपनी सील के साथ फिर से सील लगा देंगे और अगर उम्मीदवार या उनके उपस्थित चुनाव एजेंट उसपर अपनी सील लगाना चाहते हों तो उनके सील लगायें ताकि युनिट में रिकार्ड मतदान का परिणाम नहीं मिटे और युनिट परिणाम की स्मृति को उसी प्रकार रखे।

(2) नियंत्रण युनिट को विशेष रूप से तैयार पेटी में रखा जाये और उसपर निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित विवरण दर्ज करे, जैसे :-

(क) वार्ड का नाम;

(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों का विवरण जहाँ नियंत्रण युनिट को उपयोग में लाया गया हो;

(ग) नियंत्रण युनिट की क्रम संख्या;

(घ) मतदान की तिथि; और

(ङ) मतगणना की तिथि।

(ii) नियम 82 से 85 के प्रावधान और इन नियमों के संदर्भ में, जैसा हो वैसा, मतदान मशीनों के द्‌वारा मतदान के संबंध में लागू होंगे-

(क) मतपत्रों को ऐसे मतदान मशीनों के संदर्भ के साथ अन्वययीत किया जाये;

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अध्याय - XIV

अनौपचारिक चुनाव

111. **अनौपचारिक चुनाव** : (1) जब पंचायत के लिए चुने गये सदस्य का सीट रिक्त होता है या उसे रिक्त घोषित किया जाता है या उसका निर्वाचन पंचायत के द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, आयोग उप-नियम (2) के प्रावधानों के तहत, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, वार्ड को रिक्त हुए पद को भरने के लिए व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आमंत्रण दे सकता है ताकि ऐसी रिक्तयाँ को भरने के लिए सदस्य के चुनाव से संबंधित विषय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि, और विनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये आदेशों के प्रावधानों के पहले, जैसा हो सके, भरा जा सके।

(2) अगर किसी वार्ड में रिक्त हुआ पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला के लिए आरक्षित हो तो, उप-नियम (1) के तहत अधिसूचना जारी किया जाये और यह विनिर्दिष्ट किया जाये कि इस रिक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला के द्वारा, जैसा मामला हो, भरा जाये।

(3) किसी भी अनियत रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तिथि से छह महीनों की अवधि के भीतर भरा जायेगा, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सामान्य निर्वाचन के छह महीने के भीतर होने वाली किसी भी अनियत रिक्ति के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जायेगा ।

अध्याय - XVII

चुनाव के संबंध में विवाद

112. व्याख्या : इस अध्याय में अगर विषय की आवश्यकता हो तो-

(क) **उम्मीदवार** का आशय एक व्यक्ति से है जो किसी पंचायत के लिए किसी चुनाव के द्वारा चुना गया है या चुने जाने का दावा करता है;

(ख) **लागत** का आशय सभी प्रकार के लागतों, प्रभारों और व्यय से है, या उससे प्रासंगिक, एक निर्वाचन याचिका के विचारण से है;

(ग) **निर्वाचक अधिकार** का आशय उसक व्यक्ति से है जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है या नहीं होता है या चुनाव लड़ता है या उम्मीदवारी वापस लेता है, या पंचायत के चुनाव में मतदान करता है या उससे स्वंय को दूर रखता है:

(घ) **उच्च न्यायालय** के आशय उस उच्च न्यायालय से है जिसके स्थानीय सीमाक्षेत्र में उस चुनाव का न्यायक्षेत्र आता है, जिसके संबंध में याचिका दायर की गई है;

(ङ) "निर्वाचित उम्मीदवार" का आशय उस उम्मीदवार से है जिसका नाम निर्वाचित के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

113. <u>याचिका की प्रस्तुति:</u> (1) किसी चुनाव के संबंध में आक्षेप लगाते हुए नियम 126 या नियम 127 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक कारणों के आधार पर उस चुनाव के किसी उम्मीदवार या निर्वाचक के द्वारा निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन के पंद्रह दिनों के भीतर, परंतु मतदान की तिथि से पहले नहीं, जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनाव याचिका दायर किया जा सकता है।

<u>व्याख्या:</u> - इस उप-नियम में **निर्वाचक** का आशय उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान का अधिकार रखता हो जिसके संबंध में याचिका दायर की गई है, भले ही उसने उस चुनाव में मतदान किया हो या नहीं किया हो।

(2) याचिका में जितने प्रतिवादी हैं उतनी संख्या में प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए और सभी प्रतियाँ याचिकाकर्त्ता के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित होनी चाहिए ताकि याचिका सत्यापित प्रति माना जाये।

114. <u>याचिका के पक्षकार</u> : एक याचिकाकर्त्ता अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में संयुक्त हो सकता है-

(क) जहाँ याचिकाकर्त्ता, इस बात की भी माँग करता है कि निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जाये, अन्य घोषणा के साथ यह भी दावा करता है कि वह या कोई अन्य चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार को निर्वाचित था, याचिकाकर्त्ता को छोड़कर चुनाव लड़ने वाले अन्य उम्मीदवार, और जहाँ, सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इसके अतिरिक्त किसी दावे की घोषणा नहीं की जाती है: और

(ख) कोई अन्य उम्मीदवार जिसके विरूद्ध याचिका में भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाये गये हों।

115. <u>याचिका की अंतर्वस्तु:</u> (1) एक चुनाव याचिका में-

(क) विषय की वास्तविकता पर आधारित संक्षिप्त विवरण हो जिसपर याचिकाकर्त्ता आश्रित करता हो;

(ख) याचिकाकर्त्ता के द्वारा लगाये जाने वाले किसी भ्रष्ट आचरण की विस्तृत जानकारी के साथ उसका पूर्ण विवरण और जहाँ तक हो सके ऐसे भ्रष्ट आचरण करने वाले आरोपी पक्षकारों का नाम

भी दिया जाये और यह भी दर्शाया जाये कि किस तिथि को और किस जगह प्रत्येक भ्रष्ट आचरण किये गये हैं; और

(ग) याचिकाकर्त्ता के द्वारा हस्ताक्षरित एवं इस प्रकार सत्यापित किया गया हो जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में शपथ के सत्यापन के लिए निर्दिष्ट किया गया हैं ।

बशर्ते कि अगर याचिकाकर्त्ता के द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है, तो, ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोपों के समर्थन में प्रपत्र-24 में एक शपथपत्र भी याचिका के साथ संलग्न की जानी चाहिए जिसे प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रैट या नोटरी या शपथ दिलाने वाले आयोग के समक्ष किया गया हो साथ ही उसका विवरण भी दिया जाये।

(2) याचिका के किसी अनुसूची या अनुलग्नक को भी याचिकाकर्त्ता के द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना चाहिए जैसा कि याचिका को किया गया है।

116. <u>याचिकाकर्त्ता के द्वारा किये गये दावे में रियायत:</u>
एक याचिकाकर्त्ता, इस दावे के साथ कि निर्वाचित उम्मीदवार की निर्वाचन अमान्य है, तो वह साथ में यह भी घोषणा करे कि वह स्वय या कोई अन्य उम्मीदवार ही निर्वाचित भी है।

117. <u>चुनाव याचिका पर विचार:</u> (1) अगर चुनाव याचिका नियम 113 या नियम 114 या नियम 137 के प्रावधानों के तहत नहीं किया गया हो तो उसे खारिज कर सकता है।
<u>व्याख्या:</u> जिला न्यायाधीश द्वारा इस नियम के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए आदेश नियम 124 के खंड (क) के तहत किया जायेगा।

(2) अगर समान चुनाव के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष एक से ज यादा चुनाव याचिका दायर की गई हो, तो वह, अपने विवेकाधिकार से, उसे पृथक या एक या अधिक समुह में न्याय कर सकते हैं।

(3) कोई भी उम्मीदवार जो प्रतिवादी नहीं है, वह जिला न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा आरंभ होने के चौदह दिवस पूर्व और व्यय संवीक्षा के किसी आदेश की शर्त पर जो कि जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाना है, स्वंय अर्जी देकर, प्रतिवादी के रूप में संयुक्त होने का हकदार होगा।
<u>व्याख्या:</u> इस उप-नियम और नियम 123 के उद्देश्य के लिए, याचिका पर मुकदमा उसी दिन से आरंभ होगा जो दिन प्रतिवादी को जिला न्यायाधीश के समक्ष होने के लिए तय की जायेगी और याचिका में शामिल दावे या दावों का उत्तर देगा।

(4) जिला न्यायाधीश, लागत या किसी अन्य प्रकार के शर्तों पर वह योग्य पाते हैं, याचिका में लगाये गये किसी भी भ्रष्ट आचरण के विवरण को संशोधित या विस्तारित करने की अनुमति दे सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगे कि याचिका के निष्पक्ष एवं प्रभावी मुकदमे को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है, लेकिन वह याचिका में किसी संशोधन की अनुमति नहीं दे सकते जो भ्रष्ट आचरण के परिचयात्मक विवरण को प्रभावित करता हो और जिसका जिक्र याचिका में पहले नहीं किया गया हो।

(5) चुनाव याचिका के मुकदमे को, जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, मुकदमे के संदर्भ में न्याय के हित में निरंतर, निष्कर्ष आने तक दिन प्रतिदिन आधार पर चलाये जायें, जबतक जिला न्यायाधीश मुकदमे की कार्यवाही को अगले दिन के लिए इसके लिए आवश्यक कारण को रिकार्ड करके मुलतवी नहीं करता।

(6) प्रत्येक चुनाव याचिका जितनी जल्दी हो सके उतने शीघ्रता के साथ पूर्ण कर ली जानी चाहिए और जिला न्यायाधीश के समक्ष जिस दिन यह चुनाव याचिका दायर किया गया है उस दिन से छह माह के भीतर ही इसे समाप्त कर लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

118. जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रक्रिया:- (1) विनियम के प्रावधानों और इस नियम के तहत बने किसी आदेश की शर्त पर, जिला न्यायाधीश द्वारा चलाये जाने वाले प्रत्येक चुनाव याचिका की सुनवायी, जितनी निकट हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत लागू प्रकि्रया के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान के साथ कि जिला न्यायाधीश के पास खारिज करने का विवेकाधिकार होगा, लिखित रूप से कारण रिकार्ड लेने, किसी गवाह का परीक्षण करने का अगर उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे गवाह के सबूत याचिका का निर्णय देने के लिए अपर्याप्त है या दल ऐसे गवाह को निम्न आधार पर गवाही देने के लिए पेश किया है या इस दृष्टिकोण के साथ कि प्रक्रिया में विलंब पैदा किया जा सके।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधान, विनियम एवं इन नियमों की शर्त पर, एक चुनाव याचिका के लिए सभी तरह से लागू होंगे।

119. <u>दस्तावेजी प्रमाण</u>:- किसी अधिनियमन के प्रतिकूल कुछ होने के बावजूद, एक चुनाव याचिका के मुकदमे के प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज इस आधार पर अस्वीकार्य होगा कि वह स्टंप या पंजीकृत नहीं किया हुआ है।

120. <u>मतों की गोपनियता का अतिलंघन न हो</u>: किसी भी गवाह या किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि वह एक चुनाव में किसी मत दिया है यह बताये।

121. <u>दण्डाज्ञ प्रश्नों का जबाव और क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र:</u> (1) एक चुनाव याचिका के मुकदमें से संबंधित विषय के संदर्भ में पुछे गये किसी प्रश्न के जबाव देने से किसी गवाह को इस आधार पर रियायत नहीं मिल सकती है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से उसपर दोषारोपण किया जा सकता है या उसे अपराधी ठहराया जा सकतो है या उसपर किसी भी प्रकार का दण्ड या दण्डाज्ञा आरोपित किया जा सकता है:

इस प्रावधान के साथ कि-

(क) अगर कोई गवाह उससे पुछे गये प्रश्नों का सही जवाब देता है तो जिला न्यायालय से क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा, और

(ख) अगर जिला न्यायाधीश के समक्ष या उनसे पुछे गये किसी प्रश्न का जबाव गवाह के द्वारा दिया जाता है, तो अपराधिक प्रक्रिया को छोड़कर या गवाह के संदर्भ में पूर्वाग्रह के बिना, उसे किसी भी सिविल या अपराधिक प्रक्रिया में गवाह के तौर पर अपनाया जा सकता है।

(2) जब किसी गवाह को क्षतिपूर्त्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाये तो, वह, वह किसी भी न्यायालय में पूर्ण रूप से बचाव के लिए या ऐसे प्रमाणपत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर किसी भी कानून के तहत किसी आरोप पर, किसी भी अदालत में याचना कर सकते हैं, परंतु किसी चुनाव में विनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य करार दिये जाने से बरी नहीं हो पायेंगे।

122. <u>गवाहों का खर्च:-</u> गवाही के लिए उपस्थित किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यय के लिए जिला न्यायाधीश, अगर किसी अन्य तरीके से निदेश नहीं दिया गया हो तो, प्रतिपूर्ति का हिस्सा होंगे।

123. <u>सीट के दावे के समय पुर्नाभियोग:</u>

(1) जब एक चुनाव याचिका में यह घोषणा किया जाये कि निर्वाचित उम्मीदवार के अलावे कोई उम्मीदवार निर्वाचित है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य दल साबित करने के लिए सबूत दे कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन अमान्य है अगर वह निर्वाचित उम्मीदवार है तो और याचिका में उसके निर्वाचन की माँग की गई हो:

इस प्रावधान के साथ कि निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य दल, उपर्युक्त वर्णित, वह किसी सबूत को पेश करने के लिए हकदार नहीं होंगे अगर, मुकदमा आरंभ होने के चौदह दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को नोटिस नहीं देते कि वे सबूत पेश करने वाले हैं और उन्हें नियम 137 में संदर्भित के अनुसार प्रतिभूति भी देना होगा ।

(2) चुनाव याचिका के मामले में उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक नोटिस के साथ नियम 115 के अनुसार विवरण संलग्न होना चाहिए और उसी प्रकार हस्ताक्षरित एवं सत्यापित भी किया गया होना चाहिए।

124. <u>जिला न्यायाधीश का निर्णय:</u> किसी चुनाव याचिका के मुकदमें के निष्कर्ष पर, जिला न्यायाधीश निम्नलिखित आदेश कर सकते हैं-

(क) चुनाव याचिका को खारिज कर सकते हैं; या
(ख) निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर सकते हैं; या
(ग) निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को अमान्य कर याचिकाकर्त्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकते हैं।

125. <u>जिला न्यायाधीश द्वारा दिये जाने वाले अन्य आदेश:</u>
(1) नियम 124 के अंतर्गत आदेश देते समय, जिला न्यायाधीश यह भी आदेश कर सकते हैं कि-
(क) अगर याचिका में चुनाव में किसी भ्रष्ट आचरण के होने का आरोप लगाया गया है तो, रिकार्ड के अनुसार,

i) चुनाव में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण के साबित या नहीं साबित होने और भ्रष्ट आचरण की प्रकृति की जाँच; और
ii) सभी लोगों के नाम, यदि कोई हो तो, जिसे मुकदमे के दौरान दोषी पाया गया है या कोई भ्रष्ट आचरण और उस आचरण की प्रकृति; और

(ख) भुगतान किये जाने वाले लागत की कुल राशि का निर्धारण और उस व्यक्ति का विनिर्देशन जिसे इस लागत का भुगतान करना है ;

इस प्रावधान के साथ कि जिस व्यक्ति का नाम याचिका में पक्षकार के रूप में नही हैं उनका नाम खंड (क) के उप-नियम (ii) के तहत आदेश में शामिल नहीं किया जा सकता जबतक-

(क) अगर उस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित रहने की नोटिस नहीं दी जाती और उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता कि उसके नाम को क्यों नहीं शामिल किया जाये, और अपने बचाव के लिए बुलावा सबूत के रूप में, उसे किसी गवाह से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया हो जिससे जिला न्यायाधीश पहले ही पुछताछ कर चुके हों और जिसने उसके खिलाफ सबूत दिये हैं, और उसे सुना गया हो ।

(2) इस नियम और नियम 125 में, एजेंट का आशय लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 124 के समान होगा।

126. <u>चुनाव को अमान्य घोषित किये जाने का आधार :</u>
(1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के तहत, अगर जिला न्यायाधीश की यह राय हो कि-

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(क) निर्वाचन की तिथि को, निर्वाचित उम्मीदवार पात्रता नहीं रखता था, या अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसे इस विनियम के तहत सीट को भरने के लिए चुना गया है; या

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा या उसके चुनाव एजेंट के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट से संबंध रखता हो,के द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण किया गया है; या

(ग) यदि किसी नामांकन को गलत तरीके से रद्द किया गया हो तो; या

(घ) अगर चुनाव का परिणाम निर्वाचित सदस्य के संबंध में, पर्याप्त रूप से प्रभावित किया गया हो-

i) किसी नामांकन अनुपयुक्त तरीके से स्वीकार करके; या

ii) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में उसके चुनाव एजेंट को छोड़कर किसी अन्य एजेंट के द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया हो;

iii) किसी मत को अनुपयुक्त तरीके से प्राप्त, अस्वीकृत या अस्वीकार कर या ऐसे मत को प्राप्त कर जो अमान्य मत हो; या

iv) विनियम या इनके नियमों या इसके तहत बने आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो। जिला न्यायाधीश निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर सकता है।

(2) अगर जिला न्यायाधीश की यह राय हो, कि भ्रष्टआचरण का दोष निर्वाचित उम्मीदवार के एक एजेंट के द्वारा किया गया है जो उसका चुनाव एजेंट नहीं है, लेकिन जिला न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट हो कि-

(क) ऐसा कोई भी भ्रष्ट आचरण चुनाव में उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के द्वारा नहीं किया गया है, और ऐसे सभी भ्रष्ट आचरण आदेश के विपरीत हैं, और यह उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति के बिना किये गये हैं;

(ख) उम्मीदवार एवं उसके चुनाव एजेंट ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सभी जिम्मेदारियाँ उठाई है; और

(ग) चुनाव की अन्य सभी तरीके से उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के भ्रष्ट व्यावहार से मुक्त है

तब जिला न्यायाधीश यह तय कर सकते हैं कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन अमान्य नहीं है।

व्याख्या : इस अभिव्यक्ति में "एजेंट" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-124 के समान ही है ।

127. <u>निर्वाचित उम्मीदवार को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार के निर्वाचन की घोषणा के लिए आधार :</u>

अगर कोई व्यक्ति याचिका दायर करता है, साथ ही, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर सवाल खड़े करता है, साथ ही घोषणा के द्वारा यह दावा करता है कि वह स्वंय या कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित है तो जिला न्यायाधीश यह निर्णय ले सकते हैं-

(क) कि वास्तव में याचिकाकर्त्ता ने कुल वैध मतों में बहुमत हासिल किया है, या कुल वैध मतों में सबसे ज यादा मत हासिल किये हैं, या

(ख) लेकिन निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के माध्यम से मत हासिल किये गये हैं, याचिकाकर्त्ता या किसी अन्य उम्मीदवार ने ही वैध मतों में बहुमत हासिल किया है; तो जिला न्यायाधीश निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के बाद, याचिकाकर्त्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को, जैसा भी हो, निर्वाचित घोषित कर सकते हैं ।

128. <u>समान मतों के मामले में प्रक्रिया :</u>

अगर चुनाव याचिका के दौरान यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों के मध्य समान मत आये हैं और एक मत से ही उन उम्मीदवार में निर्वाचित उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है, तो-

(क) उक्त विनियम और इन नियमों के प्रावधान के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिये गया कोई भी निर्णय जहाँ तक यह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्नों का निर्धारण करें, याचिका के प्रयोजनों हेतु भी प्रभावी होगा, और जहाँ तक उस प्रश्न का निर्धारण ऐसे निर्णय द्वारा नहीं किया जाता है जिलाधीश इन पर लाट द्वारा निर्णय लेंगे और इस प्रकार आगे की कार्रवाई करेंगे मानो कि जिन पर वह लाट आये उन्हें अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ है ।

129. <u>निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण :</u>

(1) निर्वाचन अर्जी केवल जिला न्यायाधीश इजाजत से प्रत्याहृत किया जा सकता है ।

(2) जहाँ उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्याहरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो उक्त आवेदन की सुनवाई हेतु तिथि का निर्धारण करते हुए उसकी नोटिस उक्त याचिका के सभी अन्य पक्षों को दी जाएगी और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी ।

130. निर्वाचन अर्जियों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया :

(1) यदि एक से ज्यादा अर्जीदार हों, तो सभी अर्जीदारों की सहमति के सिवाय किसी निर्वाचन अर्जी को प्रत्याहृत करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्याहरण हेतु किसी भी आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि जिला न्यायाधीश के मत में, ऐसा आवेदन किसी मोल-भाव या विचार से प्रेरित हो, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(3) यदि आवेदन को मंजूरी दी जाती है -

(क) अर्जीदार को प्रतिवादी द्वारा हुए या इसके ऐसे भाग पर हुई लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जायेगा, जैसा कि जिला न्यायाधीश उचित समझे ।

(ख) जिला न्यायाधीश निदेश देंगे कि प्रत्याहरण की नोटिस सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और किसी अन्य तरीके से जैसा कि वे विनिर्दिष्ट करें और उस पर तदनुसार नोटिस प्रकाशित की जाएगी ।

(ग) कोई व्यक्ति, जो कि अर्जीदार रहा हो, वो ऐसे प्रकाशन के सात दिनों के भीतर प्रत्याहरण करने वाले पक्ष की जगह अपने को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं और यदि सुरक्षा संबंधी उक्त शर्तों का अनुपालन करने पर, यदि कोई हो, प्रतिस्थापित होने के लिए और जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसी शर्तों पर कार्यवाही जारी रखने के लिए हकदार बन जायेंगे, जैसा कि वे उचित समझें।

131. जिला न्यायाधीश द्वारा आयोग को प्रत्याहरण की रिपोर्ट :

जब जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्याहरण हेतु आवेदन को मंजूरी दी जाती है और प्रत्याहृत करने वाले पक्ष के बदले नियम-130 के उप-नियम (3) के खंड-(ग) के अंतर्गत अर्जदाता के रूप में कोई भी प्रतिस्थापित नहीं हुआ हो, तो जिला न्यायाधीश इस तथ्य के बारे में आयोग को रिपोर्ट करेंगे और उस पर आयोग उक्त रिपोर्ट सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करेंगे ।

132. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन :

(1) किसी निर्वाचन अर्जी का उपशमन किसी एक मात्र अर्जीदार या कई अर्जीदारों में से जीवित बचे अर्जीदार की मृत्यु की स्थिति में हो सकता है ।

(2) जहाँ कोई निर्वाचन अर्जी में उप-नियम (1) के अंतर्गत उपशमन होता है, जिला न्यायाधीश इसे अपने द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से प्रकाशित करा सकते हैं ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं अर्जीदार रहा हो, ऐसे प्रकाशन के सात दिनों के भीतर अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन कर सकता है और सुरक्षा संबंधी शर्तें यदि कोई हो, उनका अनुपालन करके प्रतिस्थापित होने का हकदार बन जायेगा और जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसी शर्तों पर कार्यवाही जारी रखने के लिए हकदार बन जायेंगे, जैसा कि वे उचित समझें ।

133. **<u>प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उपशमन या प्रतिस्थापन</u> :**

किसी निर्वाचन अर्जी के परीक्षण के निष्कर्ष के पहले यदि एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है या वह यह नोटिस देता है कि वह अर्जी का विरोध करने का इरादा नहीं रखता है या प्रतिवादियों में से किसी की भी मौत हो जाती है या ऐसी नोटिस देता है और अर्जी का विरोध करने वाला कोई दूसरा प्रतिवादी नहीं हो, तो जिला न्यायाधीश ऐसी घटना की नोटिस का प्रकाशन सरकारी राजपत्र में करायेंगे और उसके बाद कोई भी व्यक्ति, जो अर्जीदार रहा हो, ऐसे प्रकाशन के सात दिनों के भीतर ऐसे प्रतिवादी की जगह उक्त अर्जी का विरोध करने के लिए प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन कर सकता है और ऐसी शर्तों पर उक्त कार्यवाही को जारी रखने का हकदार बन जाएगा, जैसा कि जिला न्यायाधीश उचित समझें ।

134. **<u>उच्च न्यायालय को अपील</u> :**

(1) कुछ समय के लिए प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में कुछ भी उद्धृत होने के बावजूद जिला न्यायाधीश द्वारा नियम-124 और 125 के अंतर्गत दिये गए हर आदेश की अपील उच्च न्यायालय में की जायेगी ।

(2) इन नियमों के अंतर्गत हरेक अपील जिला नियम 124 और 125 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर की जाएगी ।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकती है, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।

135. जिला न्यायाधीश के आदेशों के प्रचालन पर रोक :

(1) जिला न्यायाधीश को उसके द्वारा जारी आदेश के प्रचालन पर रोक लगाने के लिए वहाँ अपील करने की अनुमत अवधि की समाप्ति पर नियम-124 या नियम-125 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है और जिला न्यायाधीश, पर्याप्त कारण दर्शाने पर और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वे उचित समझें अपने आदेश के प्रचालन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में अपील कर दी गई हो, तो जिला न्यायाधीश के पास रोक हेतु कोई आवेदन नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जहाँ कोई अपील की गई हो, उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शाने पर और ऐसी निबंधन एवं शर्तें पर जैसा कि ये उचित समझे ,अपील किये गये आदेश का प्रचालन रोक सकती है ।

(3) जब जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा जैसा भी मामला हो, किसी आदेश के प्रचालन पर रोक लगाई जाती है, तो उक्त आदेश कभी भी लागू हुआ नहीं समझा जाएगा और रोक आदेश की एक प्रति जिला न्यायाधीश द्वारा या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को और निदेशक, पंचायत निर्वाचन को भेज दी जाएगी ।

136. अपील में प्रक्रिया :

(1) हरेक अपील उच्च न्यायालय द्वारा वास्तविक सिविल प्रक्रिया का प्रयोग करने में जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की अपील की सुनवाई और निर्णय में लागू प्रक्रिया के अनुसार संभवत: समान रूप से सुनी जाएगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का 5) के सभी प्रावधान ऐसे अपील के संबंध में यथासंभव लागू होगा ।

(2) जैसे ही किसी अपील पर निर्णय लिया जाता है, उच्च न्यायालय उक्त निर्णय के सार के संबंध में आयोग और निदेशक, जिला पंचायत को सूचित करेगा और यथासंभव शीघ्र आयोग को उक्त निर्णय की प्रामाणिक प्रति भेजेंगे और इसके प्राप्त होने पर आयोग-

(क) उन सभी प्राधिकारियों को इसकी प्रतियाँ अग्रेषित करेंगे, जिन्हें जिला न्यायाधीश के आदेश की प्रतियाँ अग्रेषित की गई थी, और

(ख) उक्त निर्णय को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करायेंगे ।

137. लागत हेतु प्रतिभूति :

(1) निर्वाचन चाचिका प्रस्तुत करते समय अर्जीदार जिला कोर्ट में उस कोर्ट के नियमानुसार उक्त अर्जियों (याचिकाओं) की लागत हेतु दो हजार रूपये प्रतिभूति के रूप में जमा करेंगे ।

(2) किसी निर्वाचन याचिका के परीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश किसी भी समय, याचिकादाता को बुलाकर उन्हें ऐसी कोई सुरक्षा प्रतिभूति देने के लिए जैसा वे निदेश दें ।

138. लागत : लागत जिला न्यायाधीश के विवेकानुसार होगा :

बशर्ते कि जहाॅ नियम-124 के खंड (क) के तहत कोई याचिका खारिज की जाती है, तो लौटाया गया उम्मीदवार उक्त याचिका दायर करने में उसके द्वारा खर्च की गई लागत पाने के हकदार होंगे और तदनुसार जिला न्यायाधीश लौटाये गए उम्मीदवार के पक्ष में लागत हेतु आदेश देंगे ।

139. सुरक्षा जमा में से लागतों का भुगतान तथा ऐसे जमा राशि की वापसी :

(1) यदि इन नियमों के प्रावधानों के तहत यदि आदेश के संबंध में किसी आदेश में यदि किसी पार्टी द्वारा किसी को भी लागतों का भुगतान करने का निदेश हों, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में लागतों के भुगतान का निर्णय हुआ है, उस व्यक्ति द्वारा इस संबंध में लिखित आवेदन देने पर जिला न्यायाधीश के आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी लागत को, यदि उन्हें पहले भुगतान नहीं किया गया हो, तो सुरक्षा जमा में से और यदि कोई और सुरक्षा जमा हो, तो उसमें से पार्टी द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा ।

(2) यदि उस उप-नियम में संदर्भित लागत के उप-नियम (1) के अंतर्गत भुगतान के उपरांत भी उक्त सुरक्षा प्रतिभूति में कोई शेष बाकी हो, तो इस शेष को या जहाॅ कोई लागत नहीं दी गई हो या एक वर्ष की उक्त अवधि में पूर्वोक्त की तरह कोई आवेदन नहीं किया गया हो, तो जिस व्यक्ति द्वारा सुरक्षा राशि जमा की गई है, या यदि सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में जिला न्यायाधीश को लिखित में आवेदन करने पर उक्त सुरक्षा जमा की पूरी राशि उक्त व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि जैसा मामला हो, को वापस कर दी जाएगी ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

140. लागत के संबंध में आदेशों का क्रियान्वयन :

इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लागत से संबंधित कोई आदेश संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसा न्यायालय उक्त आदेश को उसी रीति में और उसी प्रक्रिया से क्रियान्वित करेगा या करायेगा, मानों यह स्वयं द्वारा किसी मुकदमें ने धन के भुगतान हेतु कोई डिक्री हो ।

बशर्ते कि जहाँ ऐसी कोई लागत या उसका कोई भी हिस्सा नियम-139 के उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी आवेदन द्वारा वसूल की जा सकती है, तो ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस नियम के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं आयेगा, जब तक कि यह ऐसे किसी लागत के शेष की वसूली हेतु न हो, जिसे उस उप-नियम में संदर्भित सुरक्षा जमा में अपर्याप्त राशि के कारण उस उप-नियम के तहत आवेदन करने के बाद अदावित न रह गया हो ।

अध्याय – XVIII
भ्रष्टाचार एवं अन्य मामले

141. भ्रष्टाचार :

लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अभ्यावेदन की धारा-123 में विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार को ऐसे संशोधनों के साथ किसी भी ग्राम पंचायत, और जिला पंचायत के चुनाव के प्रयोजन से भ्रष्टाचार माना जायेगा, जैसा कि प्रशासक, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक आदेशों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

बशर्ते कि किसी भी कार्यवाही पर विचार-विमर्श हेतु प्राथमिकता के लिए अनुमति प्रदान करने में पीठासीन व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतों के बहुमत द्वारा मार्गदर्शन लेंगे ।

142. चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना : कोई भी व्यक्ति उक्त विनियम एवं इन नियमों के तहत चुनाव के संबंध में भारत के नागरिकों के तहत चुनाव के संबंध में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता की भावना को धर्म, जाति, प्रजाति समुदाय या भाषा के आधार पर बढ़ावा या बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगा ।

143. मतदान हेतु प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहना :

यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी किया गया है, मतदान हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार कर देता है, तो उसको जारी किया जायेगा ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अध्याय - XIX

सदस्यता हेतु अयोग्यता तथा निर्वाचन की पूर्णता हेतु समय के विस्तार के संबंध में जॉच आयोग की शक्तियॉ

144. चुनाव आयोग की शक्तियॉ :

(1) जहॉ धारा-21 के अंतर्गत या प्रशासक को किसी मत को देने के संबंध में आयोग जॉच करवाना जरूरी या उचित समझें और आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी जॉच में उक्त पार्टियों द्वारा स्वयं दायर किये गए शपथपत्र तथा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों के आधार पर यह उक्त मामले किसी निर्णायक मत पर आ सकता है, जसके बारे में जॉच हो रही है, तो आयोग के पास ऐसी जॉच के प्रयोजन से निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया, 1908 (वर्ष 1908 का 5) की शक्तियॉ होंगी, अर्थात :

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति हेतु बाध्य करना और शपथ द्वारा उसकी जॉच करना ।

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने योग्य किसी भी दस्तावेज या वस्तु की खोज करने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता ।

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ।

(घ) किसी भी कोर्ट या कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी एक प्रति की मॉग करना ।

(ड) गवाहों या दस्तावेजों की जॉच के लिए आयोग जारी करना ।

(2) उक्त आयोग के पास किसी भी व्यक्ति से तत्काल लागू किसी भी कानून के द्वारा उस व्यक्ति से दावा किये जाने वाले लाभ के अधीन ऐसे बिन्दुओं या मामले पर जानकारी मॉगने की शक्तियॉ होंगे, जो आयोग के विचार में उक्त जॉच की विषय -वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकते हैं ।

(3) भारतीय दंड संहिता की धारा-193 और धारा-228 (1860 का 45) के अर्थ के अंतर्गत आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी ।

145. व्यक्ति द्वारा आयोग के समक्ष वक्तव्य :

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के क्रम में किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी भी वस्तव्य से उस पर ऐसे वक्तव्य द्वारा झूठा साक्ष्य देने हेतु अभियोजन के अलाव किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी या उसके खिलाफ प्रयोग में नहीं लाई जाएगी ।

बशर्ते कि वह वक्तव्य -

(क) किसी ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाए, जिसका जवाब देना उसे आयोग द्वारा पूछे जाने पर अपेक्षित हो, या

(ख) उक्त जॉच की विषय -वस्तु से संबंधित हो ।

146. <u>आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया :-</u>

आयोग को अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार होगा (अपनी बैठकों का स्थल एवं समय निर्धारित करने तथा यह निर्णय करने सहित कि बैठक सार्वजनिक रूप से हो या निजी रूप से)

147. <u>सदाशयता से की गई कार्रवाई की सुरक्षा :-</u>

आयोग द्वारा या आयोग के निर्देशन में कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा सदाशयता से की गई या इस अध्याय से पूर्ववर्ती के अनुसरण में सदाशयता से करने की मंशा रखने पर या उसके तहत कोई आदेश देने या आयोग द्वारा माननीय प्रशासक को कोई भी मत देने के संबंध में या आयोग के प्राधिकार में या द्वारा से ऐसे किसी मत कागजात या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में आयोग या आयोग के निदेशन में कार्य कर रहे व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

148. <u>चुनाव पूर्ण करने के समय का विस्तार :</u>

आयोग अपने द्वारा समझे जाने वाले पर्याप्त कारणों से अपने द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन कर किसी भी चुनाव को पूर्ण करने के समय में विस्तार करने हेतु सक्षम होगी ।

149. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति :</u>

इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से दमण एवं दीव ग्राम (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 1995 निरस्त हो जाएगी ।

बशर्ते कि ऐसे निरसन से उन नियमों के किसी भी उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उक्त विनियम या इन नियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं हो, अगर और जब तक वह प्रावधान किसी भी कानून द्वारा अधिक्रमित नहीं किया जाता हो ।

प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा
एवं नगर हवेली के आदेश एवं नामानुसार

हस्ता/-
(आशा चौधरी)
उप-सचिव (पंचायतीराज संस्थान)
दमण एवं दीव

सं. 4/21/विशेष सचिव /(पी.आर.आई.)/पी.ई-नियमावली/2012-13/48
दिनांक 14/08/2014

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र-1

(नियम - 12 देखें)

मसौदा निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की नोटिस

सेवा में,

______________ ग्राम पंचायत / जिला पंचायत के ______________ वार्ड के निर्वाचक

एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली-1995 के नियम-1 के अनुसार उक्त निर्वाचक नामावली तैयार की गई है और उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में निरीक्षण हेतु और ______________ में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध है ।

यदि उक्त वार्ड के क्षेत्रीय सीमा के भीतर रहने वाले मतदाताओं के नाम शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति हो, जैसा कि मतदान क्षेत्र के पंचायत सदस्य सभा से संबन्धित निर्वाचक नामावली पर मौजूद हो, तो इसे प्रपत्र-2 में दिनांक __________ को या उससे पहले दर्ज किया जाना चाहिए ।

ऐसा प्रत्येक सुझाव या आपत्ति (दो प्रतियों में) या तो मेरे कार्यालय में या ______________ में या नीचे लिखे पते पर डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, ताकि ये मुझे पूर्वोक्त तिथि के बाद नहीं प्राप्त हो ।

दिनांक :-

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी

(पता) ....

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 2)

(नियम - 13 देखें)

_______________ग्राम पंचायत / जिला पंचायत के _______________ वार्ड की क्षेत्रीय सीमा में रहनेवाले मतदाताओं के नाम को शामिल करने या हटाने संबंधी सुझाव या आपत्ति ।

सेवा में,

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी,

_______________वार्ड ।

महोदय,

मैं / हमलोग यह अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि _______________वार्ड की क्षेत्रीय सीमा के भीतर आने वाले निम्नलिखित आवासों के मतदाताओं के नाम शामिल किये /हटाये जा सकते हैं, क्योंकि ये आवास पंचायत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर /बाहर हैं ।

____

स्थान :- _______________ _______________

आवेदक / आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

_______________(छिद्रण) _______________

की गई कार्रवाई की सूचना

निम्नलिखित आवासों में रहने वाले मतदाताओं के नाम को शामिल करने / हटाने से संबन्धित प्रपत्र - 2 में आवेदन को -

*क) स्वीकार कर लिया गया है और उनके नाम निर्वाचक नामावली के क्रम सं. ________ भाग सं __________ में शामिल कर लिया गया /हटा दिया गया है ।

*ख) _______________ कारण से अस्वीकार कर दिया गया है ।

* आवास सं.

1.

2.

3.

4.

5.

_______________(छिद्रण) _______________

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

आवेदन की पावती

निम्नलिखित आवास संख्याओं से संबंधित प्रपत्र-2 में आवेदन प्राप्त हुआ :-

1.	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
(पता) ________________
____

दिनांक :- __________

---

* जो शब्द लागू नहीं है, उसे काट दें ।

** आवेदक द्वारा भरा जाए ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 3)

(नियम - 15 देखें)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की नोटिस

सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि ________________ वार्ड हेतु मसौदा निर्वाचक नामावली में संशोधनों की सूची दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के अनुसार तैयार कर ली गई है । उक्त नामावली की एक प्रति प्रकाशित की जा चुकी है और मेरे कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी ।

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
(पता) ________________
____

स्थान :- __________
दिनांक :- __________

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 4)

(नियम - 30 देखें)

निर्वाचक की नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि :-

1. ____________ग्राम पंचायत /जिला पंचायत के ____________ वार्ड के सदस्य हेतु चुनाव आयोजित किया जाना है ।
2. नामांकन पत्र किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को समयं __________ बजे या सहायक निर्वाचन अधिकारी को समय __________ बजे (सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त) किसी भी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक, परंतु __________ बजे के बाद नहीं, सुपुर्द किया जा सकता है ।
3. नामांकन पत्र प्रपत्र पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं :
4. नामांकन पत्र संवीक्षा हेतु (स्थान) __________ में __________ दिनांक ________ को (समय) ________ बजे लिये जायेंगे ।
5. उम्मीदारी वापस लेने की सूचना किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट दोनों में से किसी भी अधिकारी को उनके कार्यालय में अपराह्न 3.00 बजे के पहले ________ में सुपुर्द किया जा सकता है ।
6. चुनाव होने की स्थति में, उक्त मतदान दिनांक ________ को ________ से ________ बजे के बीच किया जाएगा ।

स्थान :- __________

दिनांक :- __________

निर्वाचन अधिकारी

X अनुपयुक्त शब्दों को काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 5)

(नियम - 32 देखें)

नामांकन पत्र

__________ग्राम पंचायत /जिला पंचायत के __________ वार्ड में चुनाव

मैं __________ग्राम पंचायत /जिला पंचायत के __________ वार्ड में चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में नामित करता हूँ ।

उम्मीदवार का नाम :
पिता/पति का नाम :
उनका डाक पता :

उनका नाम __________ वार्ड के निर्वाचक नामावली के भाग सं. __________ में क्रम सं. __________ पर प्रविष्ट किया गया है ।

मेरा नाम __________ है और __________ वार्ड के निर्वाचक नामावली के भाग सं. __________ में क्रम सं. __________ में प्रविष्ट किया गया है ।

दिनांक : __________ प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऊपर उल्लिखित उम्मीदवार नामांकन हेतु सहमति देता हूँ और एतद्‌द्वारायह घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(ख) मैं __________ पार्टी द्वारा चुनाव में खड़ा किया गया हूँ ।

(ग) चयनित चिन्ह प्राथमिकता के अनुसार है :-

(i) __________ (ii) __________ और (iii) __________

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता / पति के नाम की वर्तनी ऊपर __________ (भाषा का नाम) में सही लिखी गई है ।

(ङ) मेरी सर्वोत्त जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मैं योग्य हूँ और __________ में सीट के लिए चुने जाने हेतु अयोग्य भी नहीं हूँ ।

* मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं __________ जाति का सदस्य हूँ, जो कि संघ प्रदेश में अनुसूचति जाति है ।

* मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं __________ जनजाति का सदस्य हूँ, जो कि संघ प्रदेश में __________ जनजाति है ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

* मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मैं एक महिला हूँ ।

________________ रूपये नकद जमा रसीद सं. __________ दिनांक ______ क्रम सं. __________ पर प्राप्त मेरे नामांकन पत्र के साथ संलग्न है /पहले ही संलग्न किया गया है ।

दिनांक :- __________ (उम्मीदवार का नाम)

* गलत विकल्प को काट दें

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नामांकन पत्र की क्रम सं. __________

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में ________ बजे दिनांक ______ को * उम्मीदवार /प्रस्तावकर्ता द्वारा सौंपा गया था ।

दिनांक : ________ निर्वाचन अधिकारी

नामांकन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्वाचन अधिकारी का निर्णय

मैंने दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली,2013 के नियम-36 के अनुसार इस नामांकन पत्रकी जॉच कर ली है और निम्नानुसार निर्णय लेता हूँ ।

दिनांक : ________ निर्वाचन अधिकारी

________________(छिद्रण)________________

नामांकन पत्र की पावतीऔर संवीक्षा नोटिस (नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने हेतु)नामांकन पत्र के क्रम सं. ________

ग्राम पंचायत / जिला पंचायत के वार्ड सं. ________ से चुनावी उम्मीदार ____________ का नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक ________ को ________ बजे स्थान पर सौंपा गया था ।

दिनांक : ________ निर्वाचन अधिकारी

---

* जो शब्द लागू नहीं है, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 6)

(नियम - 35 देखें)

नामांकन की नोटिस

____________________वार्ड से __________________ग्राम पंचायत / जिला पंचायत में चुनाव एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि उपर्युक्त चुनाव के संबंध में निम्नलिखित नामांकन आज अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त हुए हैं ।

नामांकन पत्र की क्रम सं.	उम्मीदवार का नाम	पिता /पति का नाम	उम्मीदवार की आयु	पता	पार्टी संबंधित महिला	क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है	अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखनेवाले जाति का ब्यौरा	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवाद का ब्यौरा तिथि	उम्मीदवार की निर्वाचक नामावली सं.	प्रस्तावकर्ता का नाम	प्रस्तावकर्ता की निर्वाचक नामावली सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

निर्वाचन अधिकारी

* जो विकल्प लागू नहीं है, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 7)

[(नियम - 36 (8) एवं 36 (9) देखें]

वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची

____________________वार्ड से ग्राम पंचायत / ज़िला पंचायत हेतु चुनाव ।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	पिता /पति का नाम	उम्मीदवार का पता	पार्टी संबंधन
1.	2.	3.	4.	5.

स्थान :
दिनांक :-

निर्वाचक अधिकारी

* गलत विकल्प काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - 8)

[(नियम - 37 (1) देखें)]

उम्मीदवार वापसी की नोटिस

________________ वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत हेतु चुनाव ।

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं,______________________________ उपर्युक्त चुनाव हेतु वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी एतदद्वद्वारा यह नोटिस देता हूँ कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ ।

स्थान :- __________ वैध रूप में नामांकित

दिनांक :- __________ उम्मीदवार

यह नोटिस मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक __________ को __________ बजे ____________________(नाम) से सौंपा गया था ।

दिनांक :- निर्वाचन अधिकारी

उम्मीदवारी की वापसी की नोटिस हेतु रसीद

(नोटिस देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने हेतु)

________________ वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत के चुनाव में वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार द्वारा उम्मदवारी वापसी की नोटिस मुझे ________________ द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक _________ को समय _________ बजे सौंपा गया था ।

निर्वाचन अधिकारी

---

* यहाँ निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प दें :-

(1) उम्मीदवार

(2) उम्मीदवार का प्रस्तावकर्ता, जिसे उम्मीदवार द्वारा इसे देने हेतु लिखित में प्राधिकृत किया गया है ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 9

[(नियम - 38 (1) देखें]

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

____________ वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	पार्टी संबंधन	आबंटित चिन्ह
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त मतदान केंद्रों पर __________ से __________ बजे के बीच दिनांक _______ (तिथि) को मतदान किया जाएगा ।

स्थान :- ________

दिनांक :- ________

* गलत विकल्प काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(प्रपत्र - (10)

[(नियम - 40 (1) देखें]

चुनाव एजेंट की नियुक्ति

____________ वार्ड से ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

____________ वार्ड

मैं ______________________________ उपर्युक्त चुनाव का उम्मीदवार एतद्द्वारा ____________ को उपर्युक्त चुनाव हेतु आज से मेरा चुनाव एजेंट नियुक्त करता हूँ ।

स्थान :- ________ उम्मीदवार का नाम

दिनांक :- ________ मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता हूँ

स्थान :- ________

दिनांक :- ________ चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर

अनुमोदित

निर्वाचन अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट : निर्वाचन अधिकारी को दो प्रतियों में जमा की जाए ।

* गलत विकल्प काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 11

[नियम - 40 (3) देखें]

चुनाव एजेंट की नियुक्ति का निरस्तीकरण

________________ वार्ड से ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं ____ उपर्युक्त चुनाव का उम्मीदवार मेरे चुनाव एजेंट ________________________ की नियुक्ति एतददवारा निरस्त करता हूँ ।

स्थान :

दिनांक :- उम्मीदवार के हस्ताक्षर

---

* गलत विकल्प काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 12

[नियम - 41 (1) देखें]

मतदान एजेंट की नियुक्ति

____________ वार्ड से ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

मैं ______________________________________ उम्मीदवार/ ____________ का चुनाव एजेंट जो कि उपर्युक्त चुनाव में एक उम्मीदवार हैं, एतदद्वारा (पता) को मतदान हेतु निर्धारित मतदान केंद्र सं. ________ में ________ बजे उपस्थित रहने के लिए मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करता हूँ ।

स्थान : उम्मीदवार /

दिनांक :- चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर

मैं मतदान एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

मतदान एजेंट के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान एजेंट
द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त चुनाव में दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2013 द्वारा निषिद्ध कुछ भी नहीं करूँगा, जो मैंने पढ़ा है / जिसे मुझे पढ़ कर सुनाया गया है ।

दिनांक: मतदान एजेंट के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
पीठासीन अधिकारी

---

*मतदान हेतु निर्धारित मतदान केंद्र में प्रस्तुत करने हेतु मतदान एजेंट को सौंपने के लिए
*गलत विकल्प को काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 13

[नियम - 41 (4) देखें]

मतदान एजेंट की नियुक्ति का निरस्तीकरण

______________ वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

____

____

मैं, ____________________________ उपर्युक्त चुनाव में एक उम्मीदवार / चुनाव एजेंट एतद्द्वारा मेरे मतदान एजेंट ______________ की नियुक्ति को निरस्त करता हूँ ।

उम्मीदवार /चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

---

*गलत विकल्प को काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 14

[नियम - 42 (1)]

मतगणना एजेंटों की नियुक्ति

______________ वार्ड के ग्राम ______________ पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

सेवा में,
निर्वाचन अधिकारी,
____
____

मैं ________________________________ एक उम्मीदवार/____________ का चुनाव एजेंट, जो कि उपर्युक्त चुनाव में उम्मीदवार हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ____________ में मतों की गणना में शामिल होने के लिए मेरा / उसका गणना एजेंट नियुक्त करता हूँ ।

गणना एजेंट का नाम — मतगणना एजेंट का पता

1.
2.
3.
आदि

उम्मीदवार / चुनाव एजेंट का हस्ताक्षर

हम गणना एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है ।

1.
2.
3.
आदि

स्थान :

दिनांक :

गणना एजेंट के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

गणना एजेंट की घोषणा

(निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करने के लिए)

हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त चुनाव में दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2013 द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जो हमने पढ़ लिया है / हमें पढ़ कर सुना दिया गया है ।

1.

2.

3.

आदि

गणना एजेंट के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

दिनांक :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

**** गलत विकल्प को काट दें ।**

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 15

[(नियम - 42 (3) देखें]

गणना एजेंट की नियुक्ति का निरस्तीकरण

______________ वार्ड के ______________ ग्राम पंचायत / जिला पंचायत में चुनाव ।

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

____

____

मैं______________________________ उम्मीदवार/____________ का चुनाव एजेंट, जो कि उपर्युक्त चुनाव में उम्मीदवार हैं, एतद्द्वारा मेरे / उनके गणना एजेंट की नियुक्ति को निरस्त करता हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

उम्मीदवार** /चुनाव एजेंट
के हस्ताक्षर

** गलत विकल्प को काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 16

[(नियम - 63(2) (ग) देखें]

आक्षेपित मतों की सूची

______________ वार्ड के ______________ में मतदान केंद्रों की संख्या एवं नाम

प्रविष्टि की क्रम सं.	निर्वाचक	नामावली के भाग की क्रम सं.	उस भाग में निर्वाचकों के नाम की क्रम सं.	आक्षेपित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	आक्षेप करने वाले व्यक्ति का पता	पहचानदाता का नाम यदि हो	आक्षेपक का नाम	पीठासीन अधिकारी का क्रम	जमा वापसी प्राप्त करने पर आक्षेपक के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

दिनांक:

* निर्वाचन से संबंधित उचित विवरण को यहाँ भरें।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 17

[नियम- 66 (2) देखें]

अंधे एवं अशक्त मतदाताओं की सूची

________________वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम

निर्वाचक की भाग सं. और क्रम सं.	निर्वाचक का पूरा नाम	सहयोगी का पूरा नाम	सहयोगी का पता	सहयोगी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.

दिनांक :-

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो भी लागू नहीं हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 18

[नियम- 69 (2) देखें]

दिये गये मतों की सूची

__________________वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत संबंधी चुनाव ।

मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम

भाग सं. क्रम सं. और निर्वाचक का नाम	निर्वाचक का पता	दिये गये मतपत्रों की क्रम सं.	जिस व्यक्ति पहले ही मतदान कर दिया है, उसे जारी मत पत्र की क्रम सं.	मतदान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1.	2.	3.	4.	5.

दिनांक :-

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

* चुनाव का उचित ब्यौरा यहाँ लगाया जाए ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 19

[नियम- 72 (1) देखें

भाग-I : मतपत्र लेखा

________________वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम

1. प्राप्त मतपत्र
2. उपयोग में नहीं लाये गए मतपत्र (अर्थात मतदाताओं को जारी नहीं किये गए मतपत्र)
   क. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ
   ख. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना
   कुल (क+ख)
3. मतदान केंद्र (1-2-3) में उपयोग में लाये गए मतपत्र
4. मतदान केंद्र में उपयोग में लाये गये लेकिन मतपेटी में डाले गये मतपत्रों
   क. मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन हेतु रद्द मतपत्र
   ख. अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र
   ग. दिये गये मतपत्र के रूप में उपयोग में लाये गए मतपत्र
   कुल (क+ख+ग)
5. मतपेटी में पाये गए मतपत्र (3+4+5)
   * क्रम सं. देने की आवश्यकता नहीं
   ** जो लागू न हो, उसे काट दें ।

दिनांक :-

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

भाग-II गणना का परिणाम

[नियम- 81 (7) (क) देखें]

I. उम्मीदवार का नाम	डाले गए वैध मत की संख्या
1. 2 3. 4. 5. आदि	
II. अस्वीकार किये गए मतपत्र	
III. कुल	
क्या मद सं. III में दर्शाये गए कुल मत पत्रों की कुल संख्या भाग-I के मद सं.5 में कुल मतपत्रों की संख्या से मेल खाता है या इन दोनों योगों के बीच कुछ असंगति देखी गई ।	

स्थान :
दिनांक : गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक : निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 20

[नियम- 81 (7) (ख)]

अंतिम परिणाम पत्र

________________ वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम

मतदान केंद्र की क्रम सं.	उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या क ख ग घ	वैध मतों की कुल संख्या	अस्वीकार किये गये मतों की संख्या	वैध एवं अस्वीकार किये गए मतों की कुल संख्या	डाले गए मतों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. 2 3. आदि					
कुल डाले गए मत					

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 21

[नियम- 88 (2) देखें

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2013 के नियम-88 (2) (क) के तहत परिणाम की घोषणा ।

________________वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

** महिलाओं/ अनूसूचित जातियों /जनजातियों हेतु आरक्षित

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2013 के नियम-87 (2) (क) में उद्दत प्रावधानों के अनुसरण में मैं यह घोषणा करता हूँ कि-

(नाम) ________________________________

(पता) ________________________________

______________द्वारा प्रायोजित (मान्यता प्राप्त) पंजीकृत राजनीतिक पार्टी) को उक्त वार्ड में उपर्युक्त पंचायत में सीटों को भरने के लिए विधिवत चुना गया है ।

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी

---

* जो विकल्प लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

<u>प्रपत्र - 21 क</u>

[नियम- 88 (2) देखें

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के नियम-88 (2) (क) के तहत परिणाम की घोषणा ।

__________________वार्ड के ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव ।

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 में नियम-88 (2) (क) में उद्दत प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह घोषणा करता हूँ कि- ______________________ (नाम) ____________________________________(पता) ____________________ द्वारा प्रायोजित (मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नाम) का _______________________ की मृत्यु के कारण उक्त पंचायत में रिक्त हुए पद को विधिवत भर लिया गया है ।

______________चुनाव रद्द घोषित किया गया है और __________________की सीट रिक्त हो गयी /घोषित की गई है ।

स्थान :
दिनांक : निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

---

* जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 21 ख

[नियम- 39 (1) देखें]

(सामान्य चुनाव में उपयोग हेतु, जब सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता हो)

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के नियम-88 (2) (क) के तहत परिणाम की घोषणा ।

____________________वार्ड के ____________ग्राम पंचायत / जिला पंचायत में नियम-39 के तहत चुनव परिणाम की घोषणा ।

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 में नियम-39 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह घोषणा करता हूँ कि- ________________ प्रायोजित का नाम ____________________________(राजनीतिक पार्टी नाम) का ______ ____________________ (उम्मीदवार का पता)

उक्त वार्ड में उस पंचायत की सीट भरने के लिए विधिवत चुन लिया गया है ।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी

---

*जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 21 ग

[नियम- 39 (1) देखें

(जब सीट पर चुनाव नहीं हो, तो अनियत रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव में उपयोग हेतु)

__________________वार्ड के __________ग्राम पंचायत / जिला पंचायत में चुनाव नियम-39 के तहत चुनाव परिणाम की घोषणा।

दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 में नियम-39 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, उद्दत प्रावधानों के अनुसरण में मैं यह घोषणा करता हूँ कि __________________(नाम)______________________(पता) द्वारा प्रायोजित (राजनीतिक पार्टी नाम) को __________________ त्यागपत्र / मौत के कारण रिक्त हुए सीट को भरने के लिए विधिवत चुन लिया गया है ।

__________________चुनाव ____________________रद्द घोषित किया गया है और सीट खाली हो गई है ।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी

---

* जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 22

[नियम- 87 (2) (ख) देखें]

चुनाव संबंधी विवरण

__________________वार्ड के __________ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का चुनाव अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /महिलाओं हेतु आरक्षित ।

चुनाव संबंधी विवरण

क्र.सं.	उम्मीदवारों के नाम	पार्टी संबंधन	मतदान किये मतों की संख्या

निर्वाचकों की कुल सं. . . . .
वैध मतदान हुए मतों की कुल सं. . . . .
अस्वीकार किये गये मतों की कुल सं. . . . .
डाले गये मतों की कुल सं. . . . .

मैं यह घोषणा करता हूँ कि

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

को सीट भरने के लिए विधिवत चुना गया है ।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचन अधिकारी

---

*चुनाव के उचित विवरण यहाँ दिये जायें ।

**जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 23

[नियम-88 देखें]

चुनाव संबंधी प्रमाणपत्र

मैं, ________________ वार्ड के ________________ ग्राम पंचायत / जिला पंचायत का निर्वाचनअधिकारी एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 20 वर्ष के ______ दिन को श्री / श्रीमती ________________ (मान्यता प्राप्त राजनीति पार्टी का नाम) द्वारा प्रायोजित की सामान्य चुनाव / उपचुनाव उक्त वार्ड द्वारा उक्त पंचायत का सदस्य बनने के लिए विधिवत चयनित घोषित किया है और उसके प्रतीक के तौर पर मैंने उन्हें चुनाव संबंधी प्रमाणपत्र दिया है ।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचन अधिकारी

(मुहर)

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 24

[नियम-115 (1) देखें]

शपथपत्र

मैं ______________________ श्री/श्रीमती ______________ (संवाददाता) सं. __________ उक्त याचिका में) श्री/श्रीमती ______________________ के चुनाव पर आपूर्ति उठाने संबंधी सह चुनाव चाचिका में याचिकादाता, यह शपथ लेता हूँ और कहता हूँ :

(क) ______________________ रूपये के भ्रष्ट्राचार की घटना के बारे में सह चुनाव के ______________ अनुच्छेद में कहे गए वक्तव्य और ______________ उसी याचिका के ______________ अनुच्छेद में तथा उसमें संलग्न अनुसूची की अनुसूची के _____ अनुच्छेद में उल्लिखित भ्रष्ट्राचार का ब्यौरा मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है ।

(ख) ______________________ रूपये के भ्रष्ट्राचार की घटना के बारे में सह चुनाव के ______________ अनुच्छेद में कहे गए वक्तव्य और ______________ उसी याचिका के ______________ अनुच्छेद में तथा उसमें संलग्न अनुसूची की अनुसूची के _____ अनुच्छेद में उल्लिखित भ्रष्ट्राचार का ब्यौरा मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है ।

(ग)

(घ)

आदि

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ______________________ द्वारा वर्ष ________ के ____ दिन को शपथ लिया / प्रतिज्ञा की ।

मेरे समक्ष
प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट
शपथ नोटरी / आयुक्त

---

* यहाँ भ्रष्ट्राचार का नाम विनिर्दिष्ट करें ।

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 25

[नियम-101 (1)(क) देखें]

(इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान)

मतदाताओं का पंजीकरण

______________ वार्ड के ग्राम पंचायत/ जिला पंचायत में चुनाव और मतदान केंद्र का नाम ______________ निर्वाचक नामावली की भाग सं. ______________

क्र.सं.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क.सं.	निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियॉं
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

प्रपत्र - 26

[नियम-106 (1) (ख)देखें]

(इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान)

भाग-I अभिलेखित मतों का विवरण

____________वार्ड और (मतदान केंद्र) ____________ के ग्राम पंचायत/जिला पंचायत का चुनाव

मतदान नियंत्रण यूनिट की पहचान संख्या ____________

i. मतपत्र संबंधी यूनिट ____________

ii. नियंत्रण यूनिट ____________

1.	मतदान केंद्र में दिये गए निर्वाचकों की संख्या	
2.	मतदाता की पंजी में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या (प्रपत्र-25)	
3.	नियम-96-एफ के तहत मतों को अभिलेखित नहीं करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या	
4.	नियम-96-एफ के तहत वोट करने की अनुमति नहीं प्राप्त मतदाताओं की संख्या	
5.	वोटिंग मशीन के अनुसार अभिलेखित वोटों की संख्या	
6.	क्या मद-5 में दर्शाये गए मतों की कुल संख्या मद-2 में दर्शाये गए मतों की कुल संख्या से मेल खाती से मद संख्या-3 में मत रिकार्ड नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या उसमें मद सं-4 (2-3-4) में से कोई वि दे जाने पर मतों की संख्या ।	
7.	मतदाताओं की संख्या, जिन्हें मतपत्र जारी किया गया था ।	
8.	दिये गए मतपत्रों की संख्या	

क्रम सं.

सं. को

(क) उपयोग हेतु प्राप्त ____________ ____________

(ख) निर्वाचकों को जारी ____________ ____________

(ग) अप्रयुक्त और वापस किए गये ____________ ____________

9.	पेपर सील का विवरण क्र.सं. ________ से ______ तक		
(1)	आपूर्ति किये गए पेपर सीलों की क्रम सं. ________ से ______तक		1. 2.
(2)	कुल आपूर्ति संख्या		3.
(3)	उपयोग में लाये गए पेपर सीलों की सं.		4.
(4)	निर्वाचन अधिकारी को लौटाये गए उपयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद-3 को मद 2 से घटायें)		5.
(5)	क्षतिग्रष्त पेपर सीलों की क्रम सं. / यदि कोई हो		6.

दिनांक :

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केंद्र सं. ____________

EXTRAORDINARY No. : 61
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

(इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान)

भाग-II - गणना का परिणाम

क्रम सं.	उम्मीदवार का नाम	अभिलेखित मतदाताओं की संख्या
1		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	उपर्युक्त में कोई भी नहीं (नोटा)	
कुल		

स्थान :

दिनांक : मतगणना / पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन एजेंट/मतगणना एजेंट का नाम पूरा हस्ताक्षर

1		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

Government Printing Press, Daman.- 10/2015 – 500
[Price Rs. 55.00]